



INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO



**LATEST
EDITION**

RAS

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION

मुख्य परीक्षा हेतु

HANDWRITTEN NOTES

[भाग -4]

समाजशास्त्र + प्रबंधन + लेखांकन एवं अंकेक्षण



INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

RAS

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE
COMMISSION

मुख्य परीक्षा हेतु

भाग - 4

समाजशास्त्र + प्रबंधन + लेखांकन एवं अंकेक्षण

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स “RAS (Rajasthan Administrative Service) (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु)” को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा “Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive Exams” भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे /

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : <http://www.infusionnotes.com>

Whatsapp Link- <https://wa.link/uwc5lp>

Online Order Link- <https://bit.ly/3X6MGue>

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम (2023)

	समाजशास्त्र	
क्र.सं.	अध्याय	पेज नं.
1.	<p>भारत में सामाजिक विचार</p> <ul style="list-style-type: none"> • समाज शास्त्र का विकास • भारतीय समाज में जाति और वर्ग <ul style="list-style-type: none"> ○ प्रकृति, उदभव, प्रकार्य, चुनौतियाँ • जाति और वर्ग में अंतर • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न 	1-8
2.	<p>परिवर्तन की प्रक्रियाएँ</p> <ul style="list-style-type: none"> • संस्कृतिकरण <ul style="list-style-type: none"> ○ संस्कृतिकरण की विशेषताएँ , आलोचना, कारक, प्रभाव • पश्चिमीकरण <ul style="list-style-type: none"> ○ परिणाम, भूमिका, विशेषताएँ • लौकिकीकरण <ul style="list-style-type: none"> ○ कारण, कारक, प्रभाव • भूमण्डलीकरण <ul style="list-style-type: none"> ○ उद्देश्य, विशेषताएँ, प्रभाव, पक्ष व विपक्ष के तर्क, समस्याएँ • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न 	8-17

3.	भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियाँ <ul style="list-style-type: none"> • दहेज • तलाक • बाल विवाह • भ्रष्टाचार • साम्प्रदायिकता • निर्धनता एवं बेरोजगारी • कमजोर वर्ग एवं दलित • वृद्ध और दिव्यांग • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न 	18-38
4.	राजस्थान में जनजातीय समुदाय <ul style="list-style-type: none"> • भील , मीणा, गरसिया, इत्यादि • प्रमुख समस्याएं एवं उनका कल्याण 	38-50
प्रबंधन		
1.	विपणन की आधुनिक अवधारणा, विपणन मिश्रण <ul style="list-style-type: none"> • उत्पाद, मूल्य, स्थान और संवर्धन • आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, प्रचालन तंत्र, • ई वाणिज्य, ई - विपणन, व्यवसाय तथा निगम आचारनीति • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न 	50-82
2.	धन के अधिकतमकरण की अवधारणा, <ul style="list-style-type: none"> • वित्त के स्रोत - अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन, • पूँजी बाजार • बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ 	82-109

	<ul style="list-style-type: none"> • विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) • विदेशी संस्थागत निवेश • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न 	
3.	<p>नेतृत्व के सिद्धांत तथा शैलियाँ</p> <ul style="list-style-type: none"> • अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार • समूह व्यवहार, • व्यक्तिगत व्यवहार, • अभिवृत्ति, मूल्य, • टीम तथा आँकलन प्रणाली • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न 	109-149
4.	<p>उद्यमिता</p> <ul style="list-style-type: none"> • उद्भवन • स्टार्ट अप्स • यूनिकॉर्न • उद्यम पूँजी • एंजल निवेशक • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न 	149-159
5.	<p>अत्यावश्यक सेवाओं का प्रबंधन</p> <ul style="list-style-type: none"> • शिक्षा प्रबंधन • हेल्थकेयर तथा वेलनेस प्रबंधन • पर्यटन तथा आतिथ्य प्रबंधन • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न 	159-165

	लेखांकन एवं अंकेक्षण	
1.	<p>लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली</p> <ul style="list-style-type: none"> • पुस्तपालन (बुक कीपिंग) • शेजनामचा, खाताबही, ट्रायल बैलेंस (तलपट), • लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा इत्यादि • वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें • उत्तरदायित्व और सामाजिक लेखांकन • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न 	166-205
2.	<p>अंकेक्षण</p> <ul style="list-style-type: none"> • अर्थ एवं उद्देश्य , • सामाजिक, निष्पत्ति एवं दक्षता अंकेक्षण, • सरकारी अंकेक्षण की प्रारम्भिक जानकारी <ul style="list-style-type: none"> ○ नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न 	205-216
3.	<p>निष्पादन बजट एवं शून्य आधारित बजट</p> <ul style="list-style-type: none"> • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न 	217-232

समाजशास्त्र

अध्याय - 1

भारत में समाज शास्त्र का विकास

❖ समाज शास्त्र का विकास :-

- 1914 मुम्बई विश्वविद्यालय में एक ऐच्छिक के रूप में अध्ययन प्रारम्भ ।
- 1919 में यहाँ नागरिक समाज समाजशास्त्र विभाग की स्थापना "पैट्रिक गिड्स" इसके पहले अध्यक्ष बने ।
- 1924 में गिड्स की जगह जी.एस. धूरिया अध्यक्ष बने ।
- 1917 में बी.एन शील के प्रयासों से कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र + समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हो सकी ।
- 1920 में वी. एन शील के ही प्रयासों से "लखनऊ विश्वविद्यालय" समाजशास्त्र + अर्थशास्त्र विभाग की स्थापना ।
- राधा कमल मुखर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने ।
- 1923 में मैसूर विश्वविद्यालय में मानवशास्त्र + समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई । इरावती कर्वे इसकी प्रथम अध्यक्ष बनी ।
- 1920 में पहली बार समाजशास्त्र की शोध पत्रिका "Indian Journal Sociology" का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ ।

➤ "भारतीय समाज में : जाति और वर्ग प्रकृति, उद्भव, प्रकार्य, चुनौतियाँ"

❖ समाज :-

- **समाज का सामान्य अर्थ :-** समाज शब्द का प्रयोग साधारणतया व्यक्तियों के समूह के रूप में किया जाता है । ब्रह्म-समाज आर्य समाज, हिन्दू समाज, जैन तथा पारसी समाज । लेकिन समाज शब्द का लोकप्रिय प्रयोग तकनीकी नहीं है ।
- समाजशास्त्र में "समाज" शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के बीच पाये जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था के लिये किया गया है।

- **समाज का तकनीक प्रयोग :-** समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है।

1. समाज (अमूर्त रूप में)
 11. एक समाज (मूर्त रूप में)
- मैकीबर एवं पेज ने समाज की परिभाषाओं में निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है ।

- (1) पारस्परिक जागरूकता
- (2) समानता
- (3) सहयोग एवं संघर्ष
- (4) समाज अमूर्त है,
- (5) पारस्परिक निर्भरता ।

समाज की विशेषताएँ :-

- एक से अधिक सदस्य
- वृहद संस्कृति
- क्षेत्रीयता (जॉनसन के अनुसार)
- सामाजिक संबंधों का दायरा
- श्रम विभाजन
- काम (प्रजनन)
- पारस्परिक जागरूकता
- समाज में समानता एवं असमानता
- समाज अन्योन्याश्रिता पर आधारित है ।
- समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों पाये जाते हैं ।
- समाज केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है ।

समाज के आवश्यक तत्व :-

- जीवित प्राणियों का संगठन ।
- जनसंख्या की निरन्तरता या सातत्य ।
- सामाजिक अन्तःक्रियाएँ ।
- श्रम का विभाजन
- आर्थिक व्यवस्था का सातत्य
- प्रेरणायें

- "भारतीय समाज में जाति - भारतीय समाज जातीय सामाजिक इकाइयों से गठित और विभक्त है। यह जातीय समूह एक ओर तो अपने आंतरिक संगठन से संचालित तथा नियमित हैं, दूसरी ओर उत्पादन सेवाओं के आदान-प्रदान और वस्तुओं के विनिमय द्वारा परस्पर संबद्ध हैं। भारतीय जाति ने धर्म को अपना आधार माना है।

- **जाति का अर्थ-** अंग्रेजी का 'Caste' शब्द पुर्तगाली शब्द 'Caste' से बना है। जिसका अर्थ प्रजाति, जन्म या भेद होता है। जाति-प्रथा

जन्मजात भेद के आधार पर एक व्यवस्था है। कहने का तात्पर्य यह है कि जाति-प्रथा के अंतर्गत ऊँच-नीच का जो संस्तरण होता है, उसका व्यवसाय, धन, शिक्षा या धर्म न होकर केवल जन्म होता है। संक्षेप में जाति जन्म के आधार पर सामाजिक उतार-चढ़ाव और खण्ड - विभाजन की वह गतिशील व्यवस्था है जो खाने-पीने, विवाह, पेशे आदि के संबंध में अनेक या कुछ प्रतिबंधों को अपने सदस्यों पर लागू करती है।

• जाति की प्रकृति / विशेषताएं -

- (1) जाति जन्म पर आधारित होती है, जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह उसी जाति का सदस्य बन जाता है।
 - (2) प्रत्येक जाति की एक परम्परागत व्यवस्था होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जजमानी व्यवस्था रही है। आज आधुनिकता के चलते नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, आदि के चलते जाति का परम्परागत व्यवसाय बहुत कम रह गया।
 - (3) जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की जाति हमेशा के लिए स्थायी होती है।
 - (4) प्रत्येक जाति का व्यक्ति अपनी जाति की सामाजिक स्थिति के प्रति जागरूक रहता है।
 - (5) इसके अंतर्गत किसी जाति विशेष के सदस्य अपनी ही जाति विशेष के सदस्य से शादी करते हैं।
 - (6) डॉ. घुरिये ने जाति प्रथा के संरचनात्मक और संस्थात्मक दोनों पक्षों को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है -
- (a) **समाज का खण्डात्मक विभाजन** - भारतीय जाति प्रथा ने हिन्दू समाज को विभिन्न खण्डों में विभाजित कर दिया है और खण्ड के सदस्यों की नियुक्ति, स्थिति, पद, स्थान और कार्य भी निश्चित है।
 - (b) **संस्तरण** - जाति प्रथा द्वारा निर्धारित विभिन्न खण्डों में ऊँच-नीच का एक संस्तरण का उतार-चढ़ाव होता है। इस संस्तरण में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की स्थिति होती है। उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और सबसे निम्न स्तर पर शुद्र हैं। साधारणतया इस संस्तरण में ऊँचे स्तर पर उठना असम्भव तो नहीं, पर कठिन अवश्य है।
 - (c) **भोजन पर सामाजिक प्रतिबंध** - जाति प्रथा के निषेधात्मक प्रकृति में भोजन संबंधी प्रतिबंध उल्लेखनीय हैं। पानी पीने के संबंध में भी अनेक प्रतिबंध हैं।

(d) **विभिन्न जातियों की सामाजिक और धार्मिक नियंत्रणें तथा विशेषाधिकार**- जाति प्रथा की एक विशेषता छुआछूत के आधार पर विभिन्न जातियों की सामाजिक नियंत्रणें या विशेषाधिकार हैं। इस संबंध में ब्राह्मणों को सबसे अधिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं। हरिजनों की अवस्था सबसे दयनीय है। वे उच्च जाति के लोगों को छूना तो दूर, अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकते आदि।

(e) **पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव** - प्रायः प्रत्येक जाति कुछ पेशों को अपना परम्परागत पेशा मानती है और उसे छोड़ना उचित नहीं माना जाता है। साथ-साथ जातियों द्वारा किए जाने वाले पेशों में भी ऊँच-नीचता (निम्नता) होती है। धर्म से संबंधित समस्त कार्य परम पवित्र माने जाते हैं।

(f) **विवाह-संबंधी प्रतिबंध** - प्रत्येक जाति में विवाह संबंधी अनेक प्रतिबंध होते हैं। उनमें अंतर्विवाह का नियम सबसे प्रमुख है। प्रत्येक जाति अनेक उपजातियों में विभाजित है। प्रत्येक उपजाति समूह है, अर्थात् अपनी उपजाति से बाहर विवाह संबंध स्थापित करने की आज्ञा नहीं है।

• **जाति व्यवस्था का उद्भव / उत्पत्ति** - भारतीय जाति प्रथा एक अत्यधिक जटिल संस्था है। हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि जाति-प्रथा के निर्माण, उत्पत्ति, उद्भव व विकास में किन-किन सिद्धांतों की देन है। अनेक विद्वानों ने अपने अलग-अलग सिद्धांत प्रस्तुत किये हैं। उनमें से प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं-

(1) **परम्परागत सिद्धांत** - इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्माण्ड के निर्माता ब्रह्मा जी ने जाति व्यवस्था का निर्माण किया। ब्रह्मा जी के विभिन्न अंगों से जैसे उनके मुख से ब्राह्मणों का, हाथ से क्षत्रिय का, उदर से वैश्य का और पैरों से शुद्र जातियों का जन्म हुआ। विभिन्न जातियों के लोग अपने मूल स्रोत के अनुसार कार्य करते हैं। प्राचीन भारत में विभिन्न उपजातियां इन जातियों से पैदा हुईं। इस सिद्धांत की विस्तृत विवेचना मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति में प्रस्तुत की है। परम्परागत सिद्धांत की इस जाति व्यवस्था की सबसे प्राचीन व्याख्या ऋग्वेद के मंत्र से मिलती है।

आलोचना - ब्रह्मा से विभिन्न जातियों के उद्भव के संबंध में यह सरलता से कहा जा सकता है कि आज के वैज्ञानिक युग में मनुष्यों की उत्पत्ति के

संबंध में ऐसी अलौकिक कल्पना पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं।

(2) **राजनीतिक सिद्धांत**: इस सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण समाज पर शासन करने के अलावा उन्हें पूर्ण नियंत्रण में रखना चाहते थे। इसलिए उनके राजनीतिक हित में भारत में एक जाति व्यवस्था का उद्भव हुआ। अपनी ऊँची स्थिति का फायदा उठाने के लिए ब्राह्मणों ने चतुराई से काम लिया और एक ऐसी योजना बनाई जिसके अंतर्गत उनका अपना स्थान सबसे ऊपर रहा है और उनके समर्थकों को दूसरा स्थान मिला जो अपने बाहुबल से ब्राह्मणों की रक्षा कर सके।

आलोचना - जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक अति प्राचीन मौलिक संस्था है जिसकी कृत्रिम रचना संभव नहीं है, कृत्रिमता स्थिरता को प्राप्त नहीं होती और न ही यह विश्वास किया जा सकता है कि दो हजार वर्ष तक ब्राह्मणों की इस चतुर योजना को कोई समझ नहीं सका।

(3) **धार्मिक सिद्धांत** - इस सिद्धांत के प्रवर्तकों में सर्वश्रेष्ठ होकार्ट और सेनार्ट इन दो विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। यह माना जाता है कि विभिन्न धार्मिक परम्पराओं ने भारत में जाति व्यवस्था को जन्म दिया। धर्म से जुड़े लोग उच्च पदों पर आसीन थे। लेकिन अलग-अलग लोग राजा के यहाँ प्रशासन के लिए अलग-अलग कार्य करते थे। जाति व्यवस्था देवताओं को भेंट चढ़ाने का संगठन है। उसकी एक सामान्य अभिव्यक्ति देवताओं को बलि चढ़ाने की प्रथा थी। इस प्रकार पशुओं की हत्या का धर्म से संबंध होने पर भी कुछ अपवित्र स्तर का कार्य है। ऐसे कार्य को करने के लिए ऐसे लोगों की सेवाओं की आवश्यकता हुई जिनकी स्थिति समाज में नीची थी या जो दास आदि होते थे।

आलोचना - इस सिद्धांत में सबसे बड़ी कमी यह है कि जाति प्रथा एक संस्था है, पूर्णतया धार्मिक संस्था नहीं है। इस सामाजिक संस्था में धार्मिक तत्व हो सकते हैं, पर धर्म ही सब कुछ नहीं है।

(4) **व्यवसायिक सिद्धांत** - नेस्फील्ड ने मूल रूप से व्यवसायिक सिद्धांत जिसके अनुसार भारत में जाति किसी व्यक्ति के व्यवसाय से विकसित हुई थी। जिसमें श्रेष्ठ और निम्नतर जाति की अवधारणा भी इसके साथ आई क्योंकि व्यक्ति बेहतर नौकरियाँ कर रहे थे और कुछ कमजोर प्रकार की नौकरियों में थे। पेशे की ऊँच-नीच या अच्छाई-बुराई के

अनुसार ही जाति-व्यवस्था के ऊँच-नीच का संस्तरण हुआ।

आलोचना - अगर पेशों के आधार पर ही ऊँच-नीच या अच्छाई-बुराई का भेदभाव है तो देश के विभिन्न भागों में रहने वाले और एक ही तरह का पेशा करने वाले व्यक्तियों के सामाजिक स्तरों में अन्तर क्यों पाया जाता है? भारतवर्ष में जितने भी लोग खेती करते हैं, सब एक ही जाति के हैं? ऐसा कदापि नहीं है।

(5) **प्रजातीय सिद्धांत** -

i. सर हर्बर्ट रिजले ने ही सर्वप्रथम इस सिद्धांत को एक वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया था। रिजले के सिद्धांत का प्रथम मूल आधार प्रजातीय भिन्नता तथा दूसरा अनुलोम विवाह-प्रथा है। उनके अनुसार जाति प्रथा की उत्पत्ति इण्डो-आर्यन प्रजाति के फारस से भारत में आने के बाद हुई है। फारस में उनका समाज चार भागों में विभाजित था। विभाजन के सिद्धांत को आर्यों ने भारतीय समाज पर भी लागू किया। यहाँ के मूल निवासियों और आर्यों में अनेक सांस्कृतिक और प्रजातीय या शारीरिक भिन्नताएँ थी जिनके कारण वे पूर्ण रूप से घुल-मिल नहीं पाए और पृथक्ता बनी रही।

दूसरे सिद्धांत के अनुसार आर्य लोग आक्रमणकारी के रूप में भारत में आए थे, इस कारण उनके पास स्त्रियों की कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई जिसके अनुसार आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों की लड़कियों से अपने लड़कों के विवाह को स्वीकार किया और इस प्रकार 'अनुलोम विवाह प्रथा' का जन्म हुआ। परन्तु साथ ही आर्यों ने अपनी लड़कियों का विवाह मूल निवासियों के साथ करना स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार 'प्रतिलोम विवाह' पर प्रतिबंध लगाया। अनुलोम विवाह के द्वारा प्रजातीय मिश्रण के फलस्वरूप ही विभिन्न जातियाँ उत्पन्न हुईं।

ii. **घुरिये का सिद्धांत** - इनके सिद्धांतानुसार जाति - प्रथा के कुछ पहलूओं का जन्म गंगा के मैदान में हुआ था, क्योंकि यहीं पर ब्राह्मणों से संबंधित इण्डो-आर्यन सभ्यता का विकास हुआ। ये जब भारत आए तो उनमें कम से कम तीन स्पष्ट वर्ग थे, जिनमें आपस में प्रायः विवाह नहीं होता था, यद्यपि ऐसे विवाह निषिद्ध बिल्कुल न थे। घुरिये के मतानुसार जाति-प्रथा के विविध तत्व आर्यों के उन प्रयत्नों के फल हैं, जो उन्होंने भारत के आदिवासियों और शूद्रों

अध्याय - 3

भारतीय समाज समक्ष चुनौतियाँ

भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियाँ :- ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक लम्बे स्वतंत्रता संग्राम के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र-राज्य के रूप में मूर्त रूप दिया और खुद को एक संविधान दिया जिसने भारत को सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। तब से भारतीय विकास की कहानी ने सभी क्षेत्रों में शानदार वृद्धि अर्जित की है, फिर भी ऐसी कई चुनौतियाँ हैं जिनका भारत आज अपने दैनिक सामाजिक जीवन में सामना करता है, जो एक तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं।

भारत जिन प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनमें से कुछ प्रमुख हैं, गरीबी, प्रदूषण, निरक्षरता, भ्रष्टाचार, असमानता, लैंगिक भेदभाव, आतंकवाद, साम्प्रदायिकता, बेरोजगारी, क्षेत्रवाद, जातिवाद, शराब, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, महिलाओं के खिलाफ हिंसा।

यदि व्यवस्थित रूप से चर्चा की जाए तो चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, यह समाज के उस उस हिस्से के आधार पर उन्हें अलग करके किया जा सकता है जो वे सबसे अधिक प्रभावित कर रहे हैं और फिर उन चुनौतियों को स्पर्श कर रहे हैं जो पूरे समाज को प्रभावित करती हैं।

कुछ प्रमुख चुनौतियाँ :-

1. बाल श्रम
2. कुपोषण
3. निरक्षरता
4. बालिकाओं के खिलाफ लैंगिक पूर्वाग्रह
5. बाल शोषण
6. बाल तस्करी
7. किशोर अपराध
8. मादक पदार्थों का सेवन
9. महिला और स्वास्थ्य
10. महिला हिंसा
11. लैंगिक भेदभाव
12. बेरोजगारी

13. जातिव्यवस्था
14. क्षेत्रवाद
15. धर्मनिरपेक्षता
16. फेक न्यूज का खतरा
17. गरीबी
18. डिजिटल डिवाइड
19. प्रदूषण

200 वर्षों की गुलामी के बाद ब्रिटिश राज से 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त को हुई। एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत का उदय, भारत के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। आजादी के समय भारत को कई सम-विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों के बीच नए राष्ट्र के रूप में भारत के समक्ष कुछ चुनौतियाँ खड़ी हुईं। जब तक इन सभी का निवारण नहीं हो जाता तब तक भारत सम्पूर्ण विकास नहीं कर सकता है और न ही शुद्ध रूप से लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है।

❖ दहेज प्रथा -

मानव समाज एवं सभ्यता के समक्ष कई सारी चुनौतियाँ खड़ी हुई हैं, परंतु इनमें से एक चुनौती ऐसी है, जिसका कोई भी हल अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। विवाह संस्कार से जुड़ी हुई यह सामाजिक विकृति दहेज प्रथा है। दहेज कुप्रथा भारतीय समाज के लिए एक भयंकर अभिशाप की तरह है। 'दहेज' शब्द अरबी भाषा के 'दहेज' शब्द से रूपान्तरित होकर उर्दू और हिन्दी में आया है, जिसका अर्थ होता है "सौगात"।

प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, अग्निकुंड के समक्ष शास्त्रज्ञ विद्वान विवाह सम्पन्न कराता था तथा कन्या का हाथ वर के हाथ में देता था। कन्या के माता-पिता अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुरूप कन्या के प्रति अपने स्नेह और वात्सल्य के प्रतीक के रूप में कुछ उपहार भेंट स्वरूप दिया करते थे। इसके लिए 'वस्त्रभूषणालंकृतम्' शब्द का प्रयोग सार्थक रूप में प्रचलित था। इस प्रथा के पीछे लाभ की दुष्प्रवृत्ति छिपी हुई है। आज दहेज प्रथा भारत के सभी क्षेत्रों और वर्गों में व्याप्त है। इस कुप्रथा के चलते कितने लड़की वाले बेघर एवं बर्बाद हो रहे हैं। कितनी वधूएँ के दहेज की खातिर जीवित जला कर मारी जा रही हैं। इस कुप्रथा ने लड़कियों के पिता का जीवन दूभर कर दिया है।

इतिहास के पन्नों पर नजर डाले तो यह प्रमाणित होता है कि दहेज का जो रूप आज हम देखते हैं कि ऐसा पहले नहीं था। उत्तरवैदिक काल में प्रारंभ हुई यह परंपरा आज अपने घृणित रूप में हमारे सामने खड़ी है। दहेज प्रथा के औचित्य और उद्देश्य में जो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्हें निम्नलिखित कालांतरों के माध्यम से बेहतर समझा जा सकता है-

(1) **उत्तर वैदिक काल** - ऋग्वेदिक काल में दहेज प्रथा का कोई औचित्य नहीं था। अथर्ववेद के अनुसार उत्तरवैदिक काल वस्तु के रूप में इस प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ उस समय पिता को जो देना सही लगता था, वह अपनी इच्छा से दे देता था। जिसे वर पक्ष सहर्ष स्वीकार कर लेता था। इसमें न्यूनतम या अधिकतम जैसी कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। उस काल में लिखे गए धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में कहीं भी दहेज से संबंधित कोई भी प्रसंग उल्लिखित नहीं किया गया है।

(2) **मध्य काल** - मध्य काल में इस वस्तु को स्त्रीधन के पीछे नाम से पहचान मिलने लगी। इसका स्वरूप वस्तु के ही समान था। इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि जो उपहार वो अपनी बेटी को दे रहा है, वह किसी परेशानी में या फिर किसी बुरे समय में उसके और उसके ससुराल के काम आएगा। लेकिन स्त्रीधन का स्वरूप पहले की अपेक्षा थोड़ा विस्तृत हो गया था। अब विदाई के समय धन को भी महत्त्व दिया जाने लगा था। इसके पीछे उनका मत ज्यादा से ज्यादा धन व्यय कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना था। यही से इस की प्रथा की शुरुआत हुई। जिसमें स्त्रीधन शब्द पूरी तरह गौण हो गया और दहेज शब्द की उत्पत्ति हुई।

(3) **आधुनिक काल** - वर्तमान समय में दहेज व्यवस्था एक ऐसी प्रथा का रूप ग्रहण कर चुकी है, जिसके अंतर्गत युवती के माता-पिता और परिवार वालों का सम्मान दहेज में दिए गए, धन-दौलत पर ही निर्भर करता है। वर-पक्ष भी सरेआम अपने बेटे का सौदा करता है। इस व्यवस्था ने समाज के सभी वर्गों को अपनी चपेट में ले लिया है। लोगों की मानसिकता यह बन गई थी कि धन और उपहारों के साथ बेटी को विदा करेंगे तो यह उनके मान-सम्मान को बढ़ाने के साथ-साथ बेटी को भी खुशहाल जीवन देगा।

'दहेज प्रथा कानून' - दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए अब तक कितने ही नियमों और कानूनों को लागू किया गया है, जिनमें से कोई भी कारगर सिद्ध नहीं हो पाया। 1961 में सबसे पहले दहेज निरोधक कानून अस्तित्व में आया। जिसके अनुसार दहेज देना और लेना दोनों ही गैर कानूनी घोषित किए। 1985 में दहेज निषेध नियमों को तैयार किया गया था। इन नियमों के अनुसार शादी के समय दिए गए उपहारों की एक हस्ताक्षरित सूची बनाकर रखा जाना चाहिए। दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (ए) जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा सम्पत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है, के अंतर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है, धारा 406 के अंतर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनों, यदि वे लड़की के स्त्रीधन को उसे सौंपने से मना करते हैं। यदि किसी लड़की की विवाह के 3 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है, और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

कई कारणों से पीड़ित परिवार दहेज संबंधी शिकायत कराने से हिचकते हैं, जिसके चलते इसमें महिला अधिकारों से जुड़ी गैर सरकारी संस्थाओं (NGO) को भी केस दर्ज करवाने का अधिकार है। वहीं, जिला अधिकारी ऐसे मामलों में खुद भी संज्ञान ले सकते हैं।

कानून के तहत ये है कानून - (1) दहेज लेना (2) दहेज देना (3) दहेज लेने और देने के लिए उकसाना। (4) वधू पक्ष से सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर दहेज की मांग करना (5) विज्ञापन के माध्यम से दहेज मांग की करना।

सेक्शन 498-A - शादी के बाद महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा में दहेज एक प्रमुख कारण है। धारा 498 - A को 1983 में विवाहित महिलाओं को पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली क्रूरता से बचाने का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 - A महिलाओं को दहेज उत्पीड़न से

सुरक्षा प्रदान करती है और इसमें आरोपियों के लिए तुरंत गिरफ्तारी साबित होने पर कड़ी सजा का प्रावधान है।

कहाँ करें शिकायत - यदि आप या आपका कोई रिश्तेदार दहेज संबंधी उत्पीड़न का सामना कर रहा है तो आप इन कानूनों के अंतर्गत शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

- (1) नजदीकी पुलिस स्टेशन या महिला थाना में जाकर या फोन के माध्यम से
- (2) 181 महिला हेल्पलाइन पर।
- (3) वन स्टॉप सेंटर पर जाकर।
- (4) कोर्ट में केस दर्ज करवा कर।

➤ दहेज के कारण

- (1) जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र - जब कन्या का विवाह अपने ही वर्ण, जाति या उपजाति में करना होता है तो विवाह का दायरा बहुत सीमित हो जाता है। योग्य वर के लिए दहेज देना आवश्यक हो जाता है।
- (2) बाल-विवाह - बाल-विवाह के कारण वर एवं वधू का चुनाव उनके माता-पिता द्वारा किया जाता है और वे अपने लाभ के लिए दहेज की माँग करते हैं।
- (3) विवाह की अनिवार्यता - हिन्दुओं में कन्या का विवाह अनिवार्य माना गया है। इसका लाभ उठाकर वर-पक्ष के लोग अधिकाधिक दहेज की माँग करते हैं।
- (4) कुलीन विवाह - कुलीन विवाह के कारण ऊँचे कुलों के लड़कों की माँग बढ़ जाती है और उन्हें प्राप्त करने के लिए कन्या पक्ष को दहेज को देना होता है।
- (5) शिक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा - वर्तमान समय में शिक्षा एवं व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का अधिक महत्त्व होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह शिक्षित एवं प्रतिष्ठित लड़के के साथ करना चाहता है, जिसके लिए उसे काफी दहेज देना होता है।
- (6) धन का महत्त्व - जिस व्यक्ति को अधिक दहेज प्राप्त होता है, उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है।
- (7) महंगी शिक्षा - वर्तमान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए काफी धन खर्च करना पड़ता है। जिसे जुटाने के लिए वर पक्ष के लोग दहेज की माँग

करते हैं। शिक्षा के लिए, लिए गए ऋण का भुगतान भी कई बार दहेज द्वारा किया जाता है।

- (8) दुष्चक्र - दहेज एक दुष्चक्र है जिन लोगों ने अपनी लड़कियों के लिए दहेज दिया है, वे भी अवसर आने पर अपने लड़कों के लिए दहेज प्राप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार लड़के के लिए दहेज प्राप्त करके वे अपनी लड़कियों के विवाह के लिए उसे सुरक्षित चाहते हैं।

दहेज - प्रथा के दुष्परिणाम -

- (1) बालिका वध - दहेज की अधिक माँग होने के कारण कई व्यक्ति कन्या को पैदा होते ही मार डालते हैं।
- (2) कम दहेज देने पर कन्या को सुसुराल में अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। दोनों परिवार में तनाव एवं संघर्ष पैदा होते हैं और पति-पत्नी का सुखी वैवाहिक जीवन में तनाव में आता है।
- (3) जिन लड़कियों को अधिक दहेज नहीं दिया जाता है, उनको कई प्रकार से तंग किया जाता है। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए लड़कियाँ आत्महत्या तक कर लेती हैं। कई बार कम दहेज के कारण लड़कियों की हत्या तक हो जाती है या फिर उन्हें जलाकर मार दिया जाता है।
- (4) दहेज देने के लिए कन्या के पिता को रुपया उधार लेना पड़ता है या अपनी जमीन, जेवरात मकान आदि को गिरवी रखना पड़ता है या बेचना पड़ता है। अधिक कन्याएँ होने पर तो आर्थिक दशा और ज्यादा बिगड़ती है।
- (5) बेमेल विवाह जैसे दुष्परिणाम सामने आते हैं। दहेज के अभाव में कन्या का विवाह अशिक्षित, वृद्ध, कुरूप, अपंग एवं अयोग्य व्यक्ति के साथ भी करना पड़ता है।
- (6) दहेज के अभाव में कई लोग अपने वैवाहिक संबंध कन्या पक्ष से समाप्त कर देते हैं। कई बार तो दहेज के अभाव में तोरण द्वार से बारात वापस लौट जाती है।
- (7) दहेज जुटाने के लिए कई अपराध भी किए जाते हैं। रिश्वत, चोरी एवं गबन द्वारा धन एकत्र किया जाता है। भ्रष्टाचार में भी वृद्धि होती है।
- (8) दहेज एकत्रित करने एवं योग्य वर की तलाश में माता-पिता चिन्तित रहते हैं। चिन्ता के कारण कई मानसिक बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं।

- महिलाओं और पुरुषों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा का सख्ती विरोध करना।
- चुनावों के दौरान उच्च जातियों के सदस्यों के साथ अपनी शर्तों पर बातचीत करना।
- ये सुनिश्चित करना कि नई दलित सरकार द्वारा घोषित सरकारी योजनाओं के लाभ सभी उपर्युक्त दलितों को पहुंचें।

भारतीय समाज में वृद्धों की स्थिति :-

वृद्धावस्था जीवन की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें उग्र मानव जीवन की औसत काल के समीप या उससे अधिक हो जाती है। यह मानव जीवन की स्वाभाविक व प्राकृतिक घटना है। प्रत्येक जीवधारी को जन्म लेने के बाद क्रमशः बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, तथा वृद्धावस्था से होकर गुजरना पड़ता है। वृद्धावस्था को जीवन की संध्या भी कहा जाता है। क्योंकि यह जीवन का अन्तिम पड़ाव होता है। इस अवस्था में शारीरिक क्षमताएँ क्षीण होने लगती हैं, और व्यक्ति अनेक गंभीर समस्याओं से घिर जाता है। वह दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने में असमर्थ हो जाता है। नई पीढ़ी के लोग पुरानी पीढ़ी के विचारों को समझ नहीं पाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानदण्ड के अनुसार किसी भी समाज में 60 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति वृद्ध माना जाता है।

वर्तमान समय में वृद्धजनों की समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं, यह समस्याएँ मुख्यतः उनकी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत मानसिक रूप से जुड़ी हैं। इस अवस्था में धन की आवश्यकता के साथ प्रेम मानसिक संतोष एवं सहयोग की आवश्यकता रहती है परन्तु अधिकांश वृद्धजन इन्हीं से वंचित हैं। इसी विचार से प्रेरित होकर उक्त कार्य प्रस्तावित हैं।

वृद्धावस्था की प्रमुख प्रमुख समस्याएँ :-

1. शारीरिक समस्याएँ
2. मानसिक समस्याएँ
3. स्वास्थ्य समस्याएँ
4. आर्थिक समस्याएँ
5. पारिवारिक व सामाजिक समस्याएँ
6. अकेलेपन की समस्याएँ

सरकार द्वारा वृद्धों की स्थिति सुधारने हेतु किये गये प्रयास :-

- संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार भारत में सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 1992 में वृद्धों को सहायता देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जिसके अन्तर्गत केयर सेंटर, वृद्धावस्था ग्रह वृद्धजन देखरेख केन्द्र तथा सचल चिकित्सालय स्थापित किये जा चुके हैं।
- वृद्धावस्था ग्रह, वृद्धजन देखरेख केन्द्र, सचल चिकित्सालय सेवायें, गैर संस्थात्मक सेवायें अन्य सुविधाएँ।
- पेंशन सुविधा।
- अन्नपूर्णा योजना
- आयकर छूट
- वरिष्ठ जन प्रमाणपत्र से अन्य सुविधाएँ।

सुझाव :-

- परिवार के निर्णय में वृद्ध लोगों को सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें अपनी महत्ता का अहसास बना रहे।
- वृद्ध व्यक्तियों को उनके मानसिक, शारीरिक एवं भावात्मक स्वास्थ्य की देखभाल की पूर्ण सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वे मानसिक, शारीरिक एवं भावात्मक रूप से स्वस्थ रहें।
- वृद्ध व्यक्तियों को मनोरंजन की पूर्ण सुविधा मिलनी चाहिए।
- वृद्ध लोगों को पूर्ण सम्मान एवं सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए ताकि वे मानसिक एवं शारीरिक शोषण से बच सकें।
- वृद्धों की सामाजिक स्थिति अच्छी करने के लिये राज्य को नए कानून बनाने की पहल करनी चाहिए।

अभ्यास

गत परीक्षा में पूछे गये प्रश्न :-

प्रश्न-1. राजनीतिक भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए ? [RAS - 2021]

प्रश्न-2. "सागड़ी प्रथा" निषेध अधिनियम क्या है ? [RAS - 2018]

प्रश्न-3. भारत में परम्परागत रूप में जाति किस प्रकार श्रम विभाजन से संबंधित है ? [RAS 2016]

प्रश्न-4. बाल विवाह से आप क्या समझते हैं ?

[RAS - 2016]

प्रश्न-5. शारदा एक्ट क्या है ? [RAS - 2021]

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न-1. राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता बताइये ? [RAS - 2021]

प्रश्न-2. राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है ? आधुनिक समाज में राष्ट्र और राज्य कैसे संबंधित हैं ?

प्रश्न-3. "अल्पसंख्यक" वर्ग क्या होता है ? अल्पसंख्यक वर्गों को राज्य से संरक्षण की क्यों जरूरत होती है ?

प्रश्न-4. साम्प्रदायवाद / साम्प्रदायिकता क्या होती है ?

प्रश्न-5. जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का कारण है क्या इस कथन से आप सहमत हैं , अपना तर्क देकर समझाइये ?

अध्याय - 4

राजस्थान में जनजातीय समुदाय

❖ भील, मीणा, गरासिया, इत्यादि

आदिवासी शब्द दो शब्दों ' आदि ' और ' वासी ' से मिलकर बना है। इसका अर्थ मूल निवासी होता है। ये जनजातियाँ अधिकांश अरावली के दक्षिणी भाग में होने वाले घने जंगल या पर्वत श्रृंखलाओं पर निवास करती हैं राजस्थान की कुल जनसंख्या का 12.60% अनुसूचित जनजाति का है और भारत के कुल आदिवासी का, 7.87 % राजस्थान में निवास करती है। **अनुच्छेद 366 (25)** ने अनुसूचित जनजातियों को "ऐसी आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी जातियों और आदिवासी समुदायों का भाग या उनके समूह के रूप में, जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिए **अनुच्छेद 342** में अनुसूचित जनजातियाँ माना गया है" परिभाषित किया है।

राजस्थान की अनुसूचित जनजातियाँ :- राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियाँ निम्न हैं :-

- भील तथा इसकी जनजातियाँ- भील गरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील ,डूंगरो गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भागलिया, भिलाला, पावडा, वसावा, वसावे
 - नायकड़ा, नायक, चोलीवाला नायक, कापड़िया नायक, नाना नायक।
 - कथोड़ी व दूसरी उपजाति काटकड़ी,दोर कतकड़ी, सोन - कथोड़ी , सोन- कतकडो।
 - सहरिया।
 - कोलाढोर, टोकरे,कोली, कोलचा, कोलघा।
 - मीना
 - पटेरिया
 - कोकना, कोकनी, कूकना।
 - भील -मीना
 - गरासिया
 - धानका ताड़वी, तेतड़िया बालवी।
 - डामोर व इनकी उपजाति डामरिया
- उपरोक्त में से मुख्य आदिवासी जनजातियाँ हैं :- मीना,भील, गरासिया, सहरिया, डामोर, कथोड़ी।

17. गरासिया जनजाति का अतिथि गृह 'मांड' कहलाता है।
18. इनके घर के बाहर का बरामदा 'ओसरा' कहलाता है।
19. गरासिया जनजाति में नवजात शिशु की नाल काटने की प्रथा 'अनाता' भोर भू प्रथा' कहलाती है।
20. इस जनजाति में सब जलाने की प्रथा है।
21. गरासिया जनजाति में किसी व्यक्ति द्वारा कार्य करने के लिए रिश्तेदारों, सगे -संबंधियों को आमंत्रित करने एवं बदले में भोज देने की प्रथा 'हेलमों' कहलाती है।
22. कर्नल जेम्स टॉड ने गरासियों की उत्पत्ति गवास शब्द से मानी जाती है। जिसका अभिप्राय सर्वेन्द्र / नौकर होता है।

प्रबंधन

अध्याय - 1

विपणन की आधुनिक अवधारणा,

विपणन मिश्रण

विपणन का अर्थ

वर्तमान वाणिज्यिक तथा औद्योगिक युग में विपणन कोई नया शब्द नहीं है। विभिन्न व्यक्ति विपणन शब्द को विभिन्न अर्थों में प्रयोग करते हैं। कुछ व्यक्तियों के लिए विपणन का अर्थ केवल वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय से है जबकि कुछ अन्य व्यक्ति इसमें और भी अनेक क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं, जैसे—विक्रय उपरान्त सेवा, वितरण तथा विज्ञापन आदि। वास्तव में विपणन क्रय, विक्रय, उत्पाद नियोजन, विज्ञापन आदि तक सीमित न रहकर एक विस्तृत अर्थ वाला शब्द है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से पूर्व की जाने वाली क्रियाओं से लेकर इनके वितरण एवं आवश्यक विक्रयोपरान्त सेवाओं तक को शामिल किया जाता है। इस प्रकार विपणन का कोई सर्वमान्य अर्थ या परिभाषा नहीं है। अध्ययन की सुविधा के लिए विपणन के अर्थ की व्याख्या करने वाली विचारधाराओं को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—

विपणन की प्रमुख अवधारणाएं निम्न हैं—

- I. पुरानी या संकीर्ण विचारधारा
- II. नई या आधुनिक विचारधारा।

I. पुरानी, संकीर्ण या उत्पाद अभिमुखी विचारधारा

Old, Narrow or Product-oriented Concept

यह विपणन की अत्यन्त प्राचीन अथवा संकीर्ण विचारधारा है, जिसमें विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए क्रय एवं इन वस्तुओं को ग्राहकों तक पहुँचाने के लिए विक्रय आदि क्रियाओं को विपणन में सम्मिलित किया जाता है। इसके अनुसार किसी भी व्यवसाय का मूलभूत उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है। विपणन का मूलभूत कार्य वस्तुओं का उत्पादक अथवा निर्माता से उपभोक्ताओं तक पहुँचाना है। बीसवीं शताब्दी के पाँचवे दशक के आसपास तक व्यावसायियों/

प्रबन्धकों / अर्थशास्त्रियों ने विपणन की इसी प्रकार की परिभाषाएँ दी हैं। विपणन की सूक्ष्म अथवा संकीर्ण अर्थ वाली प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं-

- (1) प्रो० पाइले के अनुसार, “विपणन में क्रय और विक्रय दोनों ही क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं।”
- (2) क्लार्क एवं क्लार्क के अनुसार, “विपणन में वे सभी प्रयत्न सम्मिलित हैं, जो वस्तुओं एवं सेवाओं के स्वामित्व हस्तान्तरण एवं उनके (वस्तुओं एवं सेवाओं के) भौतिक वितरण में सहायता प्रदान करते हैं।”
- (3) कन्वर्स, ह्यूजी एवं मिचेल के अनुसार, “विपणन में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से उपभोग तक के प्रवाह की क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं।”
- (4) अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार, “विपणन से तात्पर्य उन व्यावसायिक क्रियाओं के निष्पादन से है, जो उत्पादक या उपभोक्ता या प्रयोगकर्ता तक वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को नियन्त्रित करते हैं।”

विपणन की परम्परागत विचारधारा की प्रमुख विशेषताओं को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है-

1. परम्परागत विचारधारा के अनुसार संस्था का समस्त ध्यान उत्पादन पर होता है।
2. परम्परागत विचारधारा का लक्ष्य अधिकतम विक्रय द्वारा अधिकतम लाभ कमाना है।
3. इस विचारधारा में उपभोक्ता की संतुष्टि एवं कल्याण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।
4. इसमें वस्तु के उत्पादन के पूर्व एवं वस्तु के विक्रय के बाद की क्रियाओं को शामिल नहीं किया जाता है।
5. यह विचारधारा इस दर्शन पर आधारित है कि उत्पादक या विक्रेता यह भली-भाँति जानता है कि उपभोक्ता के लिए क्या अच्छा है और उसे किस वस्तु की आवश्यकता है।
6. परम्परागत विचारधारा के अंतर्गत कम्पनी के विभिन्न विभागों में पारस्परिक सम्बन्ध नहीं होते हैं।

11. नई, विस्तृत, आधुनिक या ग्राहक-अभिमुखी विचारधारा (New, Modern or Customer-oriented Concept)

आधुनिक विचारधारा वस्तु के स्थान पर ग्राहकों को अधिक महत्त्व देती है, इसलिए इसे ग्राहक-अभिमुखी विचारधारा कहते हैं। इस विचारधारा के अनुसार ऐसी वस्तुओं का ही निर्माण किया जाता है, जो कि अधिकांश ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं, अभिरुचियों आदि के अनुरूप हों। इसके पश्चात् वस्तुओं का विक्रय भी ग्राहक की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाता है और यदि आवश्यकता हो तो विक्रयोपरान्त सेवा (After Sales Service) की व्यवस्था भी की जाती है। इस विचारधारा के अनुसार विपणन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है-

- (1) पॉल मजूर के अनुसार-“विपणन का अर्थ समाज को जीवन स्तर प्रदान करना है।”
- (2) विलियम जे० स्टेण्टन के अनुसार, “विपणन का अर्थ उन पारस्परिक व्यावसायिक क्रियाओं की सम्पूर्ण प्रणाली से है जो कि ग्राहकों को उनकी आवश्यकता संतुष्टि की वस्तुओं और सेवाओं के बारे में योजना बनाने, मूल्य निर्धारित करने, संवर्धन करने और वितरण के लिए की जाती है।”
- (3) प्रो० एच० एल० हेन्सन के अनुसार, “विपणन उपभोक्ताओं की इच्छा को ज्ञात करने, उन्हें विशिष्ट वस्तुओं एवं उत्पादों में परिवर्तित करने और तदुपरान्त उन वस्तुओं एवं सेवाओं के जरिए अधिकाधिक उपभोक्ताओं के उपयोग को सम्भव बनाने की प्रक्रिया है।”

विपणन की आधुनिक विचारधारा की विशेषताओं को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है-

1. इस विचारधारा में उपभोक्ता की संतुष्टि पर विशेष ध्यान दिया जाता है अर्थात् उपभोक्ता को सर्वोत्तम माना जाता है।
2. इस विचारधारा के अंतर्गत प्रबन्धकों को यह आभास होता है कि ग्राहक की आवश्यकताएँ महत्त्वपूर्ण हैं न कि उत्पादन।
3. आधुनिक विचारधारा के अनुसार समाज के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने का दायित्व विपणन का है।
4. इस विचारधारा के अंतर्गत विपणन के द्वारा नये-नये उत्पादन आरम्भ करने का अवसर प्राप्त होता है।
5. इस विचारधारा के अनुसार उत्पत्ति के सभी साधनों का प्रभावी उपयोग सम्भव होता है।

विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में विपणन का महत्त्व (Importance of Marketing in the Emerging Economy of India)

- (1) प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग-आधुनिक सुदृढ़ विपणन व्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों का देश के हित में विदोहन तथा अधिकतम उपयोग करने में सक्रिय सहयोग प्रदान करती है जिसकी कि विकासशील देशों में अत्यन्त आवश्यकता होती है।
- (2) अर्थव्यवस्था को मन्दी से बचाना-आधुनिक विपणन अवधारणा विकासशील देश की अर्थव्यवस्था को मन्दी से बचाने में सक्रिय योगदान प्रदान करती है। यदि विपणन न हो तो विक्रय कम मात्रा में होगा जिसके कारण सारा देश मन्दी के चंगुल में फंस जायेगा।
- (3) रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठाना-आधुनिक विपणन अवधारणा जन-साधारण को उपभोग के लिए बड़े पैमाने पर नई-नई वस्तुओं की जानकारी देकर एवं उपलब्ध कराकर रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने में सक्रिय सहयोग प्रदान करती है।
- (4) राष्ट्रीय आय में वृद्धि-जब आधुनिक विपणन सुविधाओं के कारण विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की आवश्यकतानुसार वस्तुओं का उत्पादन एवं निर्माण किया जाता है तो देश की कुल वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि होती है जिसके परिणामस्वरूप देश की कुल राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि होती है।
- (5) रोजगार की सुविधा-आधुनिक विपणन अवधारणा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके बेरोजगारी एवं अर्द्ध-बेरोजगारी के उन्मूलन में सक्रिय सहयोग प्रदान करती है। आज विपणन क्षेत्र भारत में रोजगार प्रदान करने का प्रमुख स्रोत माना जाता है।
- (6) औद्योगीकरण को प्रोत्साहन-आज जिन देशों में आधुनिक विपणन व्यवस्था है, वे देश औद्योगिक क्षेत्र में शिखर पर हैं। इस प्रकार विपणन व्यवस्था अच्छी होने से औद्योगीकरण को प्रोत्साहन मिलता है जिसकी भारत जैसे विकासशील देशों को अत्यन्त आवश्यकता है।
- (7) निर्यात में वृद्धि-आधुनिक सुदृढ़ विपणन, व्यवस्था के कारण जो देश औद्योगीकरण के शिखर पर हैं, वे निर्यात अधिक करते हैं और आयात क भारत जैसे विकासशील देश को आज निर्यात में वृद्धि की

सबसे अधिक आवश्यकता है और इसी कारण विकासशील देशों (भारत सहित) में आधुनिक विपणन का महत्त्व है।

- (8) बाजार के विकास में सहायक-विपणन का स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय तीन स्तरों पर महत्त्व है। आधुनिक सुदृढ़ विपणन व्यवस्था स्थानीय बाजार को राष्ट्रीय बाजार तथा राष्ट्रीय बाजार को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का रूप प्रदान करती है।
- (9) वस्तुओं के मूल्यों में कमी-एक सुव्यवस्थित एवं प्रभावी आधुनिक विपणन व्यवस्था के होने से जहाँ एक ओर अधिक माँग होने पर उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत कम हो जाती है और दूसरी ओर वितरण लागतों में और वस्तुओं के मूल्यों में पर्याप्त कमी आती है। फलतः उपभोक्ता अधिक मात्रा में वस्तुओं का उपभोग करना प्रारम्भ कर देते हैं।

1. विपणन की अवधारणा का महत्त्व :-

- स्पष्ट रूप से कहने के लिए , विपणन की अवधारणा इस आधार पर अत्यावश्यक है कि यह इस बात की विशेषता है कि कैसे एक संगठन व्यवसाय और पनपेगा । यह व्यक्त करता है की ग्राहक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक संगठन का आवश्यक व्यवसाय है, यह पता लगाने में कुशल है कि व्यवसायिक क्षेत्र को क्या चाहिए और उसके बाद अपने सर्वश्रेष्ठ उत्पाद या सेवा को मिलान के लिए समायोजित करना चाहिए ।
- इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठन में हर किसी को उपयोक्ता निष्ठा के लिए समर्पित होना चाहिए , इसी तरह यह भी जरूरी है कि ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते समय संगठन को भी लाभ होना चाहिए । एक व्यवसाय को खरीददारों को लक्षित करना चाहिए , जो वे वास्तव में पर्याप्त रूप से सेवा कर सकते हैं । यह सब के बाद एक व्यवसाय है और अंतरिम लाभप्रदता आमतौर पर निरंतर लाभप्रदता के रूप में आवश्यक है ।

अन्य अवधारणा

- **उत्पादन अवधारणा (Production concept):** एक संगठन अपने उत्पादों को एक बाजार में डंप करेगा, कम कीमतों और उच्च मात्रा के साथ हमला करेगा। चीन आक्रामक रूप से इसका अनुसरण कर रहा है।
- **उत्पाद अवधारणा (Product concept):** अपने मौजूदा उत्पाद का विकास करें। Apple उत्पाद अवधारणा का पालन कर रहा था। वे अपने उत्पाद को बढ़ावा नहीं दे रहे थे, सीधे आईट्यून्स, आईपॉड, आदि जैसे उत्पादों को पेश कर रहे थे।
- **बिक्री की अवधारणा (Sales concept):** हमने जो भी उत्पादन किया है उसे बेचें। यह उनकी रणनीति को बढ़ावा देने का एक तत्व जोड़ता है।
- **बाजार अवधारणा (Marketing concept):** बाजारों पर शोध करें, रुझानों और उपभोक्ता वरीयताओं की पहचान करें और उनके अनुसार उत्पाद विकसित करें। यह बाजार में एक फर्म को बनाए रखने में मदद करेगा। हालांकि, उत्पादन, उत्पाद और बिक्री अवधारणा के बाद विपणन अवधारणा विकसित हुई है; लेकिन समकालीन दुनिया में, संगठन इनमें से किसी भी झुकाव को अपनाते हैं।
- **सामाजिक अवधारणा (Social concept):** आप अपने उत्पाद के सामाजिक प्रभाव पर विचार करते हैं और अपने उत्पाद के विपणन के माध्यम से सामाजिक मुद्दों के बारे में समाज को जागरूक करते हैं।
- **रीति रिवाज अवधारणा (Societal concept):** एक अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण जो एक नैतिक, नैतिक और टिकाऊ तरीके से बढ़ावा देता है और एक उत्पाद कैसे मदद करेगा।
कण्डिफ एवं स्टिल के अनुसार विपणन के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएँ सम्मिलित की जाती हैं-

विपणन कार्य

(I) वाणिज्ययन कार्य-	(II) भौतिक वितरण कार्य-	(III) सहायक कार्य-

1. उत्पाद नियोजन एवं विकास	1. भण्डारण	1. विपणन वित्त व्यवस्था
2. प्रमापीकरण एवं श्रेणीयन	2. परिवहन	2. जोखिम वहन करना
3. क्रय		3. बाजार सूचना
4. विक्रयण		

विपणन की भूमिका अथवा महत्त्व (Role or Importance of Marketing)

आधुनिक अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता व्यावसायिक जगत का केन्द्र-बिन्दु बन गया है। सभी व्यावसायिक क्रियाएँ उपभोक्ता के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। उपभोक्ता अवधारणा को अधिकाधिक मान्यता दिये जाने के कारण आर्थिक अवधारणा में परिवर्तन आ रहे हैं। फलस्वरूप विपणन का महत्त्व भी दिनोदिन बढ़ता जा रहा है।

पीटर एफ ड्रकर (Peter F. Drucker) के अनुसार, "एक व्यावसायिक उपक्रम के दो आधारभूत कार्य हैं-प्रथम, विपणन (Marketing) एवं द्वितीय, नवाचार (Innovation)।"

विपणन के महत्त्व का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है :

निर्माता के लिए विपणन का महत्त्व (Importance of Marketing for Manufacturer)

- (1) **उत्पादन संबंधी निर्णयों में सहायक (Helpful in Production decision)**-वर्तमान समय में व्यवसाय की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उपभोक्ताओं की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाये। अतः वस्तुओं की मात्रा, कीमत निर्धारण की व्यवस्था, विज्ञापन के साधन आदि के सम्बन्ध में सही निर्णय लेने के लिए विपणन बहुत उपयोगी होता है।
- (2) **आय वृद्धि में सहायक (Helpful in Increasing Income)**-प्रत्येक फर्म (कंपनी या व्यवसाय) का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। विपणन एक ओर तो विभिन्न विपणन लागतों में कमी करके वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों में कमी करता है और दूसरी ओर विपणन के आधुनिक तरीकों जैसे-

Services

जब कोई पेशेवर अपने कौशल के बदले शुल्क लेता है तो यह इस बिजनेस मॉडल में शामिल ई-कॉमर्स होता है।

ई मार्केटिंग

ई मार्केटिंग का Full Form इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग है जिसको अंग्रेजी में Electronic Marketing कहते हैं। ई मार्केटिंग को हम इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहा जाता है। इस टाइप इंटरनेट मार्केटिंग में ऑनलाइन Users को किसी प्रोडक्ट और सेवा से जोड़ने के लिए कई तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें Internet के माध्यम से किसी उत्पाद और सर्विस की Online Marketing की जाती है।

E -मार्केटिंग में Email, Website, Wireless Media जैसे Mobile और इंटरनेट के माध्यम से मार्केटिंग किया जाता है। इंटरनेट के माध्यम से ई मार्केटिंग करने के बहुत से तरीके होते हैं जिसे हर कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट के अनुसार प्रयोग करती है।

किसी भी प्रोडक्ट की Marketing करने के लिए सबसे पहले Right Plan बनाना जरूरी होता है।

ई मार्केटिंग कितने प्रकार से की जाती है -

ई मार्केटिंग क्या होता है और इसका मतलब क्या है हमने समझ लिया है आइये जानते हैं ई मार्केटिंग कितने प्रकार (Types Of E-Marketing In Hindi) के होते हैं-

1. **Social Media Marketing (सोशल मीडिया मार्केटिंग):** आज के समय में सोशल मीडिया मार्केटिंग का जमकर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर कम्पनियाँ अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग का सहारा लेती हैं।
2. **सोशल मीडिया (Social Media)** एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ हर इंसान अपनी बात को और विचार को आसानी से साझा कर सकता है और कम समय में अपने विचार लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। आज के समय में सोशल मीडिया के बहुत से ऑप्शन मार्केट में उपलब्ध हैं जिनमें

फेसबुक, Twitter, इंस्टाग्राम, Whatsapp, लिंकेडीन, टेलीग्राम और Youtube प्रमुख हैं। अकेले Facebook सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आप इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि इसने Whatsapp और Instagram को खरीद लिया है और अब व्हाट्सपप और इंस्टाग्राम के लिए फेसबुक (Facebook) एक पैरेंट कंपनी है।

3. **Email Marketing - ईमेल मार्केटिंग:** किसी भी उत्पाद की मार्केटिंग ईमेल (Email) के माध्यम से करना ईमेल मार्केटिंग (Email Marketing) कहलाता है। ईमेल के माध्यम से किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना सबसे आसान और सस्ता होता है और इसलिए कम्पनियाँ अपने प्रोडक्ट और सेवाओं का प्रमोशन करने के लिए ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल प्रथम विकल्प के रूप में करती हैं।
 4. **ई-मेल मार्केटिंग** के जरिये कंपनी अपने उत्पाद के बारे में जानकारी किसी कस्टमर तक पहुंचाती है और फिर कस्टमर्स यदि उस उत्पाद या सेवा में इंटरस्टेड होता है तो डायरेक्ट परचेस लिंक के जरिये प्रोडक्ट खरीद लेता है और ये सिलसिला चलता रहता है।
 5. **Youtube Videos Marketing - वीडियो मार्केटिंग:** किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कस्टमर तक पहुंचाने और प्रोडक्ट के बारे में अच्छी जानकारी देने के लिए वीडियो मार्केटिंग (Video Marketing) एक अच्छा विकल्प माना जाता है और ई मार्केटिंग के नजरिये से वीडियो मार्केटिंग बेस्ट ऑप्शन होता है। जिससे आप एक वीडियो में किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं। और Youtube प्लेटफॉर्म के जरिये अपने उत्पाद के बारे में जानकारी लाखों कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं।
- आजकल **वीडियो मार्केटिंग (Content Marketing)** के लिए यूट्यूब सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपना यूट्यूब चैनल (Youtube Channel) बना कर किसी भी प्रोडक्ट की ई मार्केटिंग कर सकते हैं। इस काम के लिए आप किसी कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। आप चाहें तो खुद का चैनल बना कर यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं।

6. Affiliate Marketing (एफिलिएट मार्केटिंग)

: जब कोई कंपनी अपने किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रमोशन करना चाहती है और इस प्रोडक्ट की Online मार्केटिंग या ई मार्केटिंग के लिए किसी ब्लॉग (Blog) और वेबसाइट (Websites) का सहारा लेती है तो इस प्रक्रिया को एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है।

Affiliate मार्केटिंग में कंपनी अपने प्रोडक्ट का एक एफिलिएट लिंक (रेफरल लिंक) बना कर किसी Websites मार्केटिंग ओनर को देती है और जब कोई ऑनलाइन यूजर कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदता है तो इसके बदले में Websites ओनर या ब्लॉग का मालिक को कमीशन मिलता है।

आप भी अपना खुद का एक एफिलिएट ब्लॉग (Affiliate Blog) बनाकर और किसी प्रोडक्ट का Affiliate Link अपने ब्लॉग पर देकर ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको शुरुआत में अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक लाना होगा।

7. Apps Marketing (ऐप्स मार्केटिंग) :

यदि कोई ऐसी कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट का ई मार्केटिंग कराने के लिए किसी ऐप का इस्तेमाल करती है तो इस टाइप की मार्केटिंग को ऐप्स मार्केटिंग कहा जाता है। ऐप्स मार्केटिंग (App Marketing) आज के समय में इंटरनेट मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए बेस्ट तरीका माना जाता है।

ऐप के जरिये मार्केटिंग करना आजकल ट्रेंड बना हुआ है क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में बढ़ते हुए स्मार्टफोन यूजर इसका मुख्य उद्देश्य है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां ऐप्स बनवाकर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग (Marketing) करती हैं।

8. SEO Marketing (एस.ई.ओ. मार्केटिंग) :

SEO मार्केटिंग का मतलब होता है Search Engine Optimization Marketing (सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मार्केटिंग) . आप अपने प्रोडक्ट की ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए SEO मार्केटिंग करा सकते हैं।

यदि आप अपने Business Websites पर Free में Search Engine से ट्रैफिक लाना चाहते हैं। और अपने बिज़नेस को ज्यादा से ज्यादा अपने बिज़नेस को Internet पर स्केल करना चाहते हैं, तो आपके लिए SEO Marketing बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।

9. सर्च इंजन मार्केटिंग (Search Engine Marketing)

से आप अपने प्रोडक्ट के ब्रांड (Brand) अवेरनेस इंटरनेट पर ऑनलाइन यूजर के बीच जल्दी और सटीक रूप से पहुंचा सकते हैं। जिससे आपके वेबसाइट के बारे में लोग जल्दी पहुंच सकते हैं। SEO का इस्तेमाल करके आप अपने ब्लॉग (Blogs) और वेबसाइट (Websites) को Google या अन्य सर्च इंजन (Search Engine) के पहले पेज पर Rank (रैंक) कर सकते हैं।

आप जितना ज्यादा सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पर रैंक करेंगे, आपके Business की वेबसाइट उतनी ही तेजी से इंटरनेट पर Scale होगी और आपके वेबसाइट की ऑनलाइन मार्केटिंग (Online Marketing) बहुत फास्ट होने लगेगी।

ई मार्केटिंग करने के फायदे (benefits of e marketing) :

जैसे हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं वैसे ही ई मार्केटिंग के फायदे और नुकसान भी हैं आइये जानते हैं ई मार्केटिंग के क्या फायदे हैं -

- ई-मार्केटिंग के माध्यम से कोई कंपनी अपने उत्पाद का विज्ञापन 24 घंटे करा सकती है क्योंकि दुनिया के कोने कोने से यूजर Internet पर 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं।
- इसलिए कस्टमर किसी भी समय प्रोडक्ट खरीद (Buy Product Anytime) सकता है और इससे कंपनी को फायदा होगा।
- ई मार्केटिंग का इस्तेमाल करके किसी भी समय कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिया जा सकता है।
- किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जारी अपडेट Internet के माध्यम से कभी भी कस्टमर को मिल सकता है।
- कस्टमर कभी भी कंपनी के Website पर Help Support ले सकता है।
- किसी दूसरे ऑफलाइन मार्केटिंग प्रोग्राम (Marketing Program) के बदले ई मार्केटिंग सस्ता (Cheap E Marketing) विकल्प होता है।

ई मार्केटिंग करने के नुकसान (Cons Of E Marketing)

E मार्केटिंग के फायदों के तुलना में नुकसान कम होते हैं क्योंकि ये सबसे सस्ता विकल्प होता है

मध्य साक्षात्कार के द्वारा होता है। श्रेणी-प्रदानकर्ता कार्मिक विभाग से संबद्ध होता है। श्रेणी प्रदानकर्ता पर्यवेक्षकों से कर्मचारी के निष्पादन के सम्बन्ध में प्रश्नों को पूछता है। कार्मिक विभाग इन एकत्रित सूचनाओं के आधार पर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करता है। पर्यवेक्षक का अनुमोदन (स्वीकृति) प्राप्त होने के पश्चात् इस प्रतिवेदन की एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी की फाइल (लेख्य पत्र) में लगा दी जाती है।

अभ्यास प्रश्न

गत परीक्षा में पूछे गये प्रश्न :-

1. भारार्पण से आपका क्या आशय है ? [RAS - 2016]
2. अभिप्रेरणा के द्वि-कारक सिद्धांत को समझाइये ? [RAS - 2018]
3. एक्स (X) सिद्धांत तथा वाई (Y) सिद्धांत की तुलना करें / सरकारी संगठनों में कौनसा सिद्धांत अधिक प्रासंगिक है। [RAS - 2013]
4. नेतृत्व : एक नेता , अनुयायी एवं परिस्थिति का समायोजन है ? [RAS - 2013]

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न :-

1. नेतृत्व क्या है नेतृत्व के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए ?
2. नेतृत्व के लिए आवश्यक गुणों का उल्लेख कीजिए ?
3. नेतृत्व का कौनसा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है ?
4. निरंकुश नेतृत्व का वर्णन कीजिए ?
5. अभिवृत्ति की प्रकृति का वर्णन कीजिए ?
6. टीम निर्माण की संकल्पना का वर्णन कीजिए ?
7. अभिवृत्ति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए ?
8. प्रेरणा क्या है ? प्रेरणा के आधुनिक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए ?
9. संघर्ष प्रबंधन एवं समय प्रबंधन को समझाइये ?

अध्याय - 4

उद्यमिता - उद्बुवन, स्टार्ट अप्स, युनिकॉर्न, उद्यम पूँजी, एंजल निवेशक

❖ उद्यम पूँजी का अर्थ एवं परिभाषा

उद्यम पूँजी शब्द दो शब्दों उद्यम + पूँजी के योग से बना है। उद्यम से आशय ऐसे उपक्रम से है जिसमें अनिश्चितता जोखिम, खतरा एवं हानि निहित है। पूँजी से आशय ऐसे उपक्रम को प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक वित्त उपलब्ध कराने से है। अतएव उद्यम पूँजी से आशय ऐसे उपक्रम के लिए प्रारम्भिक पूँजी उपलब्ध कराने से है जिसमें एक ओर तो अनिश्चितता। एवं अत्यधिक जोखिम है तथा दूसरी ओर अत्यधिक लाभों का आकर्षण। अतः उद्यम पूँजी से हमारा आशय ऐसे व्यावसायिका उपक्रम में धन विनियोजित करने से है जिसमें एक ओर तो अनिश्चितता एवं जोखिमों की भरमार रहती है तथा दूसरी ओर अधिक लाभ कमाने का आकर्षण। वास्तव में उद्यम पूँजी उद्यमियों के लिए प्रगति के नये-नये अवसर एवं मार्ग खोलती है। इसको हम जोखिम पूँजी भी कहते हैं।

उद्यमिता की विशेषताएं-

1. जोखिम लेने की क्षमता उद्यमिता का यह आधारभूत तत्व है कि इसमें व्यवसाय की भावी अनिश्चितताओं का सामना करने व जोखिम उठाने की भावना निहित होती है। जोखिम से प्रभावी ढंग से नहीं निपटने पर व्यवसाय समाप्त भी हो सकता है। उद्यमिता में जोखिम वहन करने की क्षमता होती है।
2. रचनात्मक क्रिया उद्यमिता व्यक्ति को नये-नये अवसरों को खोज करने, प्रति पल रचनात्मक चिन्तन करने व नवीन विचारों को क्रियान्वित करने की प्रेरणा देती है।
3. निरंतर प्रक्रिया उद्यमिता अपने आप में एक निरंतर प्रक्रिया है। सिर्फ नवीन व्यवसाय को प्रारंभ करना ही उद्यमिता नहीं है, वरन् उसका दक्षतापूर्ण संचालन करना, व्यवसाय को विकास की तरफ अग्रसर करने जैसे लंबी अवधि के लक्ष्य पाना एवं दिन-प्रतिदिन के निर्णय लेने की प्रक्रिया आदि उद्यमिता में ही समाहित हैं।

4. प्रेरणात्मक क्रिया चूंकि उद्यमिता व्यवसायियों व उद्यमियों के प्रत्येक कार्य व व्यवहारों को रचनात्मक एवं सृजनशीलता की ओर उन्मुख करती है। इसी प्रकार उन्हें नये विचारों, नये दृष्टिकोण एवं नये सुअवसरों की खोज करने के लिए भी अभिप्रेरणाएं प्रदान करती है समग्र रूप में उद्यमिता एक प्रेरणात्मक क्रिया है जो उद्यमियों को अपने कार्यों व लक्ष्यों की ओर अग्रसर करती है।
5. पेशेवर प्रक्रिया वर्तमान समय में उद्यमिता एक पेशे के रूप में विकसित हो रहा है। चिकित्सा, विधि, इंजीनियरिंग, प्रबंध आदि पेशों की तरह उद्यमिता की योग्यता को शिक्षण, प्रशिक्षण द्वारा विकसित किया जा रहा है।
6. सार्वभौमिक क्रिया उद्यमिता को एक सार्वभौमिक क्रिया माना जाता है। मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में उद्यमिता की आवश्यकता होती है। सामाजिक, व्यावसायिक, आर्थिक, तकनीकी, शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान, सेना व खेलकूद आदि सभी क्षेत्रों में अनिश्चितताओं को वहन करने, जोखिम का सामना करने व नवप्रवर्तन आदि करने में उद्यमिणी प्रवृत्तियाँ आवश्यक होती हैं। अतः सर्वव्यापकता के कारण यह सार्वभौमिक क्रिया मानी गयी है।
7. वातावरण-प्रेरित क्रिया उद्यमिता की एक विशेषता यह की उद्यमिता वातावरण से जुड़ी हुई एक बाहरी एवं खुली प्रणाली है। उद्यमी सदैव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं भौतिक वातावरण के घटकों को ध्यान में रखकर वस्तुओं का निर्माण करते हैं तथा उनमें परिवर्तन करने का जोखिम उठाते हैं।
8. उद्यमिता अर्जित कार्य है। उद्यमिता स्वाभाविक रूप से संगठन में विद्यमान नही होती, वरन् प्रयास द्वारा अर्जित की जाती है।
9. संसाधनों का संयोजन तथा उपयोग उद्यमिता द्वारा यत्र-तत्र बिखरे संसाधनों को संयोजित कर दक्षतापूर्वक उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में उत्पादन के विभिन्न साधन यथा-भूमि, श्रम, पूँजी, संगठन आदि विभिन्न व्यक्तियों के पास होते हैं। उद्यमी इन संसाधनों को एकत्रित करता है तथा उनमें संयोजन कर उत्पादन प्रक्रिया आरंभ करता है।
10. उद्यमिता एक आचरण है उद्यमिता एक व्यक्तिगत गुण नहीं है, वरन् आचरण का परिणाम होती है। व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, पर निर्णय लेने में जोखिम

निहित होता है, जिसे अनुभव द्वारा ही वहन किया जा सकता है। एक निरंतर प्रक्रिया होने के कारण उद्यमिता आचरण का हिस्सा बन जाती है।

11. प्रबंध उद्यमिता का माध्यम है। किसी भी व्यावसायिक इकाई में प्रबंध ही समस्त साहसिक निर्णयों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन का माध्यम है। प्रबंध के द्वारा ही साहसी अथवा उद्यमी अपने मूल लक्ष्यों की प्राप्ति में योजना को अमल में लाने का प्रयास करता है।
12. सभी व्यवसायों एवं अर्थव्यवस्था में आवश्यक उद्यमिता छोटे-बड़े सभी प्रकार के व्यवसायों में आवश्यक है। वस्तुतः यह प्रत्येक व्यवसाय के जीवित रहने एवं विकसित होने के लिए अनिवार्य है।
13. परिवर्तनों का परिणाम उद्यमिता कोई आर्थिक घटना या क्रिया मात्र नहीं है, वरन् समाज में होने वाले सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक व तकनीकी परिवर्तनों का परिणाम भी है।

उद्यम पूँजी अवधारण का उद्गम एवं विकास

उद्यम पूँजी अवधारण का उद्गम सबसे पहले 20 वीं शताब्दी में अमेरिका एवं यूरोप सहित पश्चिमी देशों में हुआ। वर्तमान में तो लगभग सभी विकसित पूँजीपति देशों ने उद्यम पूँजी अवधारणा को अपनाया है। इन देशों में बड़ी तेजी से प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों की स्थापना एवं विकास हो रहा है। ऐसे उद्योगों की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता अपार होती है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, उद्यम पूँजी अवधारणा का उद्गम हुए अभी अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ है। भारत में उद्यम पूँजी अवधारणा का उद्गम करने का श्रेय भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम को है, जिसने सबसे पहले 1975 में जोखिम पूँजी न्यास (Risk Capital Foundation or RCF) की भारत में स्थापना की। जनवरी 1988 में इसे कम्पनी में परिणित कर दिया गया। इसका नाम बदलकर जोखिम पूँजी एवं प्रौद्योगिकी निगम लिमिटेड (RiskCapital and Technology Corporation Limited) रख दिया गया। तत्पश्चात् अन्य भारतीय वित्तीय संस्थानों ने भी अपने यहाँ उद्यम पूँजी कोष योजना की स्थापना की। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) ने अपने यहाँ सन् 1986 में उद्यम पूँजी कोष योजना की स्थापना की। इसी प्रकार औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम (ICICI) ने सन् 1988 में अपने यहाँ भारतीय प्रौद्योगिकी विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर निगम

लेखांकन एवं अंकेक्षण

अध्याय - 1

लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली

लेखांकन क्या है

लेखांकन दो शब्दों से मिलकर बना है- 'लेख' और 'अंकन'। जहां लेख का अर्थ "लिखने" से है और अंकन का अर्थ "अंक" से लगाया जाता है। इस प्रकार से व्यवसाय में जितने भी लेन-देन होते हैं उनको एक बही(Book) के रूप में लिखना ही "लेखांकन" (Accounting) कहलाता है। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। लेखांकन को लेखाकर्म के नाम से भी जाना जाता है।

लेखांकन की अवधारणा

लेखांकन वह शास्त्र है जिसका संबंध मुख्य रूप से वित्तीय स्वभाव वाले लेन-देनों तथा घटनाओं के अभिलेखन, वर्गीकरण व विश्लेषण करने से है। व्यवसाय हो या फिर कोई कार्य जहां भी मुद्रा से संबंधित लेन-देन किए जाते हैं तो वहां लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। बिना एकाउंटिंग के व्यवसाय का कार्य अधूरा माना जाता है। आज लेखांकन का प्रयोग सभी प्रकार के व्यवसाय में किया जा रहा है- जैसे व्यापारिक संस्थाएं, गैर-व्यापारिक संस्थाएं, कंपनी तथा साझेदारी व्यापार आदि।

लेखांकन के प्रारंभिक क्रियाओं में शामिल होने वाले चरण

लेखांकन के प्रारंभिक क्रियाओं में निम्नलिखित चरणों को शामिल किया गया है-

1. अभिलेखन (Recording) : व्यवसाय में जो भी लेन-देन होते हैं, उनको पहली बार जिस बही में लिखा जाता है उसे 'अभिलेखन' कहते हैं। यह लिखने की क्रिया ही रोजनामचा है, जिसे अंग्रेजी में Journal कहा जाता है।
2. वर्गीकरण (Classification) : रोजनामचा में लिखे सभी लेनदेन को अलग-अलग भागों में विभाजित करके लिखना ही 'वर्गीकरण' कहलाता है, क्योंकि व्यवसाय में एक ही तरह के लेन-देन नहीं होते हैं। जैसे - नगद, उधार, नगद वापसी, उधार वापसी, माल का क्रय, विक्रय, विक्रय वापसी आदि।

3. संक्षेपण(Summarising): वर्गीकृत लेनदेन को एक ही स्थान पर लिखा जाना 'संक्षेपण' है। इसे तलपट(Trail Balance) के नाम से भी जाना जाता है। जो कि जांच करने का कार्य करता है।

लेखांकन की विशेषताएं ---

1. लेखांकन की विशेषताएं व्यावसायिक लेन-देन की पहचान करना और इसे नियमित तथा सुव्यवस्थित ढंग से लेखा पुस्तकों में लिखना है।
2. लेखा बहियों में केवल उन्हीं लेन- देन का लेखा किया जाता है जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है।
3. ऐसी घटनाओं तथा लेनदेन जिन्हें मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो, लेखा नहीं किया जाता है। लेखांकन की विशेषताएं वित्तीय व्यवहारों एवं घटनाओं को इस प्रकार से प्रस्तुत करना है, जिससे कि लेन-देन का विश्लेषण तथा व्याख्या आसानी से हो सके
4. लेखांकन व्यावसायिक लेन-देन की एक कला है।
5. लेखांकन के अंतर्गत लेन-देन का संक्षेपण किया जाता है। लेखांकन की विशेषताएं सभी पक्षकारों को उनके द्वारा वांछित सूचनाएं प्रदान करता है।

लेखांकन के उद्देश्य :

लेखांकन प्रत्येक व्यवसाय के लिए आवश्यक है। लेखांकन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं- नियमित एवं सुव्यवस्थित लेखा - लेखांकन का प्रथम उद्देश्य सभी लेन-देन का नियमित एवं सुव्यवस्थित ढंग से लेखा करने से है। सुव्यवस्थित ढंग से लेखा करने से भूल की संभावना नहीं रहती है और परिणाम सही प्राप्त होता है।

1. शुद्ध लाभ -हानि का निर्धारण - यह लेखांकन का दूसरा उद्देश्य है। एक निश्चित अवधि का लाभ - हानि ज्ञात करना। लाभ- हानि को ज्ञात करने के लिए किसी संस्था द्वारा व्यापार खाता(Trading Account), लाभ -हानिखाता (Profit & Loss Account) तथा आर्थिक चिट्ठा (Balance Sheet) बनाया जाता है।
2. कानूनी आवश्यकता - कानूनी आवश्यकता को पूरा करना एक लेखांकन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। लेखांकन प्रत्यक्ष(Direct) और अप्रत्यक्ष(Indirect) करों के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे अच्छा आधार प्रस्तुत करता है।

3. पक्षकारों को सूचना - व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षों को सूचना उपलब्ध कराना लेखांकन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। व्यवसाय में कई पक्षों के हित होते हैं जैसे - स्वामी(Proprietor) , लेनदार (Creditor), विनियोजक(Investor) आदि।

4. वित्तीय स्थिति - लेखांकन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य संस्था की वित्तीय स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक आर्थिक चिह्न (Balance Sheet) बनाया जाता है। जिसमें दाएं ओर संपत्तियों(Assets) तथा बाएं ओर पूंजीवाद व दायित्व(Capital And Liabilities) को प्रदर्शित किया जाता है।

लेखांकन की द्विपक्ष- अवधारणा :- इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक लेन-देन के दो पहलु होते हैं। एक को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट कहा जाता है। इस प्रणाली में लेन-देन दोनों पहलुओं में लिखे जाते हैं, इसलिए इसे डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है।

द्विपक्ष अवधारणा :- इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक लेन-देन जो खातों की पुस्तकों में लिखा जाता है, दोनों पक्षों या दोनों खातों को प्रभावित करता है। यदि एक पक्ष को डेबिट किया जाता है तो दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाएगा। यह अवधारणा डबल एंट्री सिस्टम पर लागू होती है।

उदाहरण :- 50000 रुपये क्रेडिट पर खरीदा गया सामान नियम के अनुसार खरीद खाते से डेबिट किया जाएगा। और नकद खाते में जमा किया जाएगा ताकि दोनों पक्षों का योग बराबर हो। एक पक्ष में बदलाव होगा तो दूसरा पक्ष भी बदलेगा।

उदाहरण:- हमने व्यापार के लिए 30,000 रुपये की मशीनरी खरीदी। इससे 2 परिवर्तन हुए, पहला मशीनरी खाते में 30,000 रुपये की वृद्धि हुई और नकद खाते में सामान राशि में कमी होगी। इन दोनों परिवर्तनों को लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया है, यहाँ मशीनरी खाते से डेबिट किया जाता है और नकद खाते में क्रेडिट किया जाता है।

पुस्तपालन ---

पुस्तपालन को समझने से पहले आपको अंग्रेजी Word Book-Keeping को समझना होगा। Book-Keeping दो शब्दों से मिलकर बना है-

a. Book तथा Keeping। Book शब्द का अर्थ 'पुस्तक' से होता है जबकि Keeping शब्द का अर्थ 'रखना' होता है अर्थात् पुस्तक को रखना ही पुस्तपालन (Book-Keeping) कहलाता है।

पुस्तपालन के जनक लुकास पेसिओली हैं। लेखांकन और दोहरा लेखा प्रणाली में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है।

इस प्रकार से, पुस्तपालन या बुक कीपिंग वह कला व विज्ञान होता है जिसके अनुसार समस्त व्यवसायिक वित्तीय लेन-देनों का लेखा नियमानुसार स्पष्ट तथा प्रतिदिन उचित पुस्तकों में लिखने से होता है। इस पुस्तक को बही खाते के नाम से भी जाना जाता है। आज अधिकांश संस्थाएं व्यवसायिक सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम (Software Packages Programs) का प्रयोग करते हैं। जिसमें कंप्यूटर द्वारा पुस्तके रखने में सहायता मिलती है। इस प्रकार से,

a. बहीखाता लेखांकन का अंग है।
b. वित्तीय लेनदेन एवं घटनाओं की पहचान करता है।

c. वित्तीय लेनदेन एवं घटनाओं को मुद्रा के रूप में मापना इसका अहम कार्य है।

d. वित्तीय लेनदेन को Journal या सहायक पुस्तकों में लिखना।

e. सभी लेनदेन को वर्गीकृत करना अर्थात् खाता बही (Ledger) तैयार करना।

पुस्तपालन (बुक कीपिंग) की विशेषताएं

उपरोक्त परिभाषा के आधार पर पुस्तपालन तथा खाताबही की विशेषताएं निम्नलिखित हैं जो कि नीचे इस प्रकार से दिए गए हैं -

1. मौद्रिक रूप में लेखा
2. व्यापारिक सौदों का लेखा
3. सभी व्यापारियों द्वारा प्रयोग
4. नियमानुसार लेखा
5. पुस्तपालन कला और विज्ञान

1. **मौद्रिक रूप में लेखा** - पुस्तपालन की यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें सिर्फ वित्तीय लेन-देनों का लेखा किया जाता है अर्थात् इसमें वैसे लेनदेन शामिल होते हैं जिनको मुद्रा के रूप में मापा जा सके। इनमें वैसे लेन देन को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाता है। जिनको मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सके।

क्रिया जाता है अर्थात् उधार विक्रय को विक्रय बही में, सभी नकद लेन-देनों को रोकड़ बही में आदि।
रोजनामचे का प्रारूप

प्रत्येक रोजनामचे का प्रारूप निम्न प्रकार का होता है। यह स्तम्भीय बही होती है। प्रत्येक स्तम्भ को एक नाम दे दिया जाता है जो इसके शीर्ष पर लिखा जाता है। रोजनामचे का प्रारूप नीचे दिया गया है।

Date	Particulars	Journal Folio	Amount(Rs.)	Date	Particulars	Journal Folio	Amount (Rs.)

रोजनामचे के विभिन्न स्तम्भों का विवरण इस प्रकार है:

1. तिथि

रोजनामचे के इस स्तम्भ में हम लेन-देन की तिथि महीने व वर्ष के साथ लिखते हैं। हम वर्ष को सबसे ऊपर केवल एक बार लिखते हैं इसे प्रत्येक तिथि के साथ बार-बार नहीं लिखते हैं।

2. विवरण

लेन-देन से सम्बन्धित खाते अर्थात् वह खाते जिनको नाम या जमा करना है उनको इस स्तम्भ में लिखा जाता है। इसका लेखा निम्न प्रकार किया जाता है:-

प्रथम पंक्ति में वह खाता लिखा जाता है जिसे नाम पक्ष में लिखना है तब उसके नाम के प्रति दाएँ कोने में कमइपज का लघुरूप रूप लिखते हैं। दूसरी पंक्ति में, प्रथम पंक्ति के लेख के बाएँ से कुछ स्थान छोड़कर उस खाते को विभक्ति शब्द के साथ लिखा जाता है जिसे जमा पक्ष में लिखना है। तब तीसरी पंक्ति में उस लेख का स्पष्टीकरण कोष्ठक में लिखा जाता है जो उस लेन-देन विशेष का वर्णन करता है। स्पष्टीकरण संक्षिप्त, पूर्णतया स्पष्ट होना चाहिए। प्रत्येक रोजनामचा प्रविष्टि को अन्य लेखों से अलग करने के लिए इसके नीचे विवरण खाने में एक सीधी रेखा खींची जाती है।

3. खाता पृष्ठ संख्या रोजनामचे में लिखे लेन-देनों की खाता-बही के विभिन्न खातों में खतौनी की जाती है (जिसको एक अन्य पाठ में समझाया गया है।) खाता पृष्ठ संख्या में हम उस पृष्ठ संख्या को लिखते हैं जिस पृष्ठ पर हमने खाता बही में सम्बन्धित खाता खोला है और रोजनामचे से उसमें लेखा किया है।

4. नाम राशि इस स्तम्भ में राशि को उसी रेखा में जहां खाता नाम पक्ष में लिखा था नाम पक्ष में ही लिखा जाएगा।

5. जमा राशि इस स्तम्भ में रकम को उसी रेखा में जहां खाता जमा पक्ष में लिखा था, जमा पक्ष में ही लिखा जाएगा।

2 रोजनामचा लेखन की प्रक्रिया

निम्नलिखित चरणों द्वारा रोजनामचा तैयार किया जाता है:

खातों की पहचान करना: सबसे पहले लेखांकन लेनदेनों से प्रभावित खातों की पहचान करनी चाहिए।

रोकड़ पर क्रय किया जाता है, तो 'क्रय खाता' तथा 'रोकड़ खाता' दो खाते प्रभावित होते हैं। खातों के प्रकारों की पहचान करना: अब प्रभावित खातों के प्रकारों का निर्धारण होना चाहिए जैसे उपरोक्त स्थिति में क्रय खाता तथा रोकड़ खाता दोनों सम्पत्ति खाते हैं। नाम और जमा नियमों का प्रयोग करना: इसके पश्चात् प्रभावित खातों पर नाम और जमा के नियमों का प्रयोग करना चाहिए। आप इन नियमों से परिचित हैं, फिर भी पुनरावृत्ति के लिए इन्हें नीचे दिया गया है-

(क) सम्पत्ति व व्यय खातों के बढ़ने पर नाम पक्ष में तथा घटने पर जमा पक्ष में लिखिए।

(ख) देयता, पूँजी और आगम खातों को घटने पर नाम पक्ष में तथा बढ़ने पर जमा पक्ष में लिखिए। दिए गए उदाहरण में जब माल क्रय किया जाता है तो सम्पत्ति बढ़ रही है इसलिए क्रय खाते के नाम पक्ष में लिखा जाएगा और क्योंकि भुगतान रोकड़ में होता है इसलिए सम्पत्ति कम हो रही है अतः रोकड़ खाते के जमा पक्ष में लिखा जाएगा। अब रोजनामचा प्रविष्टि को रोजनामचे में एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण (विवरण) के साथ परस्पर रकमों को नाम और जमा स्तम्भों में लिखा जाएगा। एक प्रविष्टि के पूरा होने के बाद उसके नीचे एक क्षैतिज रेखा खींची जाएगी और फिर अगले लेन-देन का लेखा रोजनामचे में किया जाएगा।

हैं उसे लिखने के लिए जो वही तैयार किया जाता है उसे Sales Return Book (विक्रय वापसी वही) कहा जाता है।

Bills Receivable Book (प्राप्य विपत्र वही) - ऋणियों से प्राप्त हुए विपत्र को लिखने के लिए जो वही तैयार किया जाता है उसे Bills Receivable Book (प्राप्य विपत्र वही) कहा जाता है।

Bills Payable Book (देय विपत्र वही) - महाजनों को दिए विपत्र को लिखने के लिए जो वही तैयार करते हैं उसे Bills Payable Book (देय विपत्र वही) कहा जाता है।

Journal Proper Book (रोजनामचा प्रधान वही) - ऐसा कोई लेन- देन जिसका सम्बंध प्रथम सात वही में से किसी से नहीं होता है, ऐसे लेन-देन को लिखने के लिए जो वही तैयार करते हैं उसे Journal Proper Book (रोजनामचा प्रधान वही) कहा जाता है।

खाता-बही (Ledger) क्या है ?

खाता-बही व्यवसाय व व्यापारी की प्रधान बही (Principal Book) है जिसमें व्यापार में होने वाले लेन-देनों का संक्षिप्त व वर्गीकृत लेखा किया जाता है।

- इसमें प्रत्येक पक्ष से संबन्धित एक निश्चित समय लेन-देन एक ही स्थान पर लिखे जाते हैं जिसे उस पक्ष का खाता कहते हैं।
- ऐसा करने का उद्देश्य एक निश्चित समय में एक खाते से संबंधित लेन-देनों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना है।
- खाता-बही में समस्त व्यक्तिगत, वास्तविक एवं अवास्तविक खाते रखे जाते हैं। साधारणतया, खाता बही रजिस्टर के रूप में होती है। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या अंकित होती है।

तो इस तरह रोजनामचा और सहायक बहियों में लेन-देनों की प्रविष्टियाँ करने के बाद उनका वर्गीकरण किया जाता है। यह वर्गीकरण खाता-बही में होता है।

- खाता बही की आवश्यकता व महत्त्व निम्नलिखित हैं :
- सूचना प्राप्त करने की दृष्टि से खाता-बही को लाभदायक माना गया है क्योंकि इससे समय व श्रम की बचत होती है।
- खाता-बही से इस बात की जानकारी होती है कि व्यापारी को किस व्यक्ति को कितना देना है और किससे कितना लेना।
- खाता-बही से सम्पत्तियों एवं पूँजी व दायित्वों की स्थिति के संबंध में भी जानकारी प्राप्त होती है।
- खाता-बही से व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता तथा नाममात्र खाता से संबंधित सभी खातों की अलग-अलग एवं पूर्व जानकारी प्राप्त होती है। न्यायालय में वित्तीय विवादों के संबंध में खाता-बही प्रमाण का कार्य करती है।
- खाता-बही से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर व्यवसाय की उन्नति के लिए भावी योजनाओं के निर्माण में सहायक मिलती है।

खाता-बही (Ledger) का प्रारूप क्या है ?

साधारणतया खाता-बही सजिल्द रजिस्टर (Bound Register) के रूप में होती है। इसमें व्यवसाय के अनुसार अनेक पन्ने या पृष्ठ होते हैं। इसमें पृष्ठ को दो भागों में विभाजित रहता है। पृष्ठ के बायें भाग को नाम (Debit) तथा दहिने भाग को जमा (Credit) कहा जाता है। प्रत्येक भाग चार खाने होते हैं। इस प्रकार पूरे पृष्ठ पर आठ खाने होते हैं।

Dr.								Cr.
Date	Particulars	J.F	Amount	Date	Particulars	J.F	Amount	

खाता बही के खतौनी के निम्नलिखित नियम हैं :

- जर्नल में जितने खातों का नाम होता है उन सभी का खाता खोला जाता है।
- खातों के नाम, खाता-बही के पृष्ठों के मध्य में, बड़े और स्पष्ट अंतरों में लिखा जाता है।

- एक नाम से संबंधित सभी लेखे एक ही जगह लिखा जाता है।
- जर्नल में किए गए लेखे को खाते में सिलसिलेवार ढंग से अर्थात् तिथिवार लिखा जाता है।
- जिस नाम का खाता खोला जाता है उस नाम को उस खाते के Dr या Cr पक्ष में कभी नहीं लिखा

जाता है। उसके Same Side Opposite Name लिखा जाता है।

- नाम पक्ष (Debit Side) के खाते के पहले To और जमा पक्ष (Credit Side) के खाते के पहले By शब्द लिखा जाता है।

खातों (Ledger) के प्रकार क्या हैं और उसके शेष निकालने की विधि क्या है ?

व्यक्तिगत खाता/दायित्व एवं पूँजी खाता के शेष निकालने की विधि :

- इन खातों के रखने का उद्देश्य यह है कि हम यह जान सकें कि किससे कितना रुपया लेना है और किसे कितना रुपया देना है। अतः इस प्रकार के खाते के डेबिट पक्ष की राशि का जोड़ बढ़ा रहने पर खाते के क्रेडिट पक्ष में By Balance c/d लिखकर अंतर की राशि लिख देते हैं। फिर दोनों पक्षों का जोड़ लिख दिया जाता है।
- इससे खाता बंद हो जाता है। इसके बाद डेबिट पक्ष की ओर जोड़ वाली पंक्ति के बाद अगली पंक्ति में To Balance b/d लिखकर वही अंतर वाली राशि लिख देते हैं। तारीख वाले खाने में जिस तारीख को खाते बंद किए गए हैं, उसकी अगली तारीख लिखी जाती है।
- इसके विपरीत, यदि खाते का क्रेडिट शेष हो तो खाते के डेबिट पक्ष में To Balance c/d लिखते हैं और राशि वाले खाने में अंतर की राशि लिखी जाती है। फिर दोनों पक्षों का योग कर लिया जाता है। जोड़ की क्रिया के बाद अगली पंक्ति में खाते के क्रेडिट पक्ष में By Balance b/d लिखा जाता है और राशि वाले खाने में अंतर वाली राशि ही लिखी जाती है।

वास्तविक खाता या सम्पत्ति खाता के शेष निकालने की विधि :

- वास्तविक खातों के रखने का उद्देश्य किसी विशेष सम्पत्ति का अपने पास शेष ज्ञात करना है। अतः ये खाते व्यक्तिगत खातों की तरह ही बंद किए जाते हैं।
- रोकड़ खाता, मशीन खाता, फर्नीचर खाता, भवन खाता इस तरह के खातों के उदाहरण हैं। ध्यान रहे कि सम्पत्ति या वास्तविक खातों का शेष हमेशा नाम शेष (Debit Balance) होता है।
- अवास्तविक खाते या आगम एवं व्यय खाते के शेष निकालने की विधि :

- अवास्तविक खाते आय-व्यय से संबंधित होते हैं। इन खातों के रखने का उद्देश्य भिन्न मदों से होने वाली आय और व्यय की राशियों ज्ञात कर व्यापार का लाभ-हानि ज्ञात करना होता है।
- अतः इन खातों के शेषों को लाभ-हानि खातों में हस्तांतरित करने के लिए जो प्रविष्टियाँ की जाती हैं उन्हें अंतिम प्रविष्टियाँ कहा जाता है।
- खर्चा से संबंधित खातों का शेष नाम शेष (Debit Balance) तथा आय से संबंधित खातों का शेष जमा शेष (Credit Balance) हुआ करता है।

Debit Balance क्या है ?

यदि डेबिट भाग का योग क्रेडिट भाग के योग से अधिक हो तो अन्तर की राशि खाता के क्रेडिट भाग में By Balance cd के रूप में लिखी जाएगी और ऐसे शेष को डेबिट बैलेंस (Debit Balance) कहा जाएगा।

अगर किसी खाते का Debit Balance है तो अगले महीने या नए वर्ष की पहली तारीख को डेबिट पक्ष में To Balance b/d लिखकर Balance c/d वाली राशि लिखी जाएगी।

Credit Balance क्या है ?

यदि क्रेडिट भाग का योग डेबिट भाग के योग से अधिक हो तो अंतर की राशि खाता के डेबिट भाग में To Balance c/d के रूप में लिखी जाएगी और ऐसे शेष को क्रेडिट बैलेंस (Credit Balance) कहा जाएगा।

क्रेडिट बैलेंस (Credit Balance) को अगले महीने या नए वर्ष की पहली तारीख को क्रेडिट पक्ष में By Balance b/d लिखकर Balance c/d वाली राशि लिखी जाएगी।

Trial Balance (तलपट)----

- Trial Balance (तलपट) में Trial से मतलब जाँच से होता है तथा Balance से मतलब शेष से होता है। लेजर में जो शेष आता है वह सही है या नहीं इसे जाँचने के लिए जो लेखा तैयार किया जाता है, उसे Trial Balance कहा जाता है। दूसरे शब्दों में लेजर के शेष को जाँचने के लिए जो लेखा तैयार किया जाता है उसे Trial Balance कहा जाता है।
- जब किसी कंपनी में लेन देन होता है, तो उन लेन देन को जनरल में लिखा जाता है, और फिर

लाभ - हानि खाते में शुद्ध (Net Profit) लाभ कब होता है।

यदि लाभ - हानि खाते के डेबिट (Dr.) पक्ष का योग क्रेडिट (Cr.) पक्ष के योग से कम होता है तो लाभ होता है, जिसे शुद्ध लाभ (Net Profit) कहते हैं।

लाभ - हानि खाते में शुद्ध हानि (Net Loss) कब होती है।

यदि लाभ - हानि खाते के क्रेडिट (Cr.) पक्ष का योग डेबिट (Dr.) पक्ष के योग से कम होता है तो हानि होती है, जिसे शुद्ध हानि (Net Loss) कहा जाता है।

लाभ - हानि खाता (Profit and Loss Account) बनाने का आधार

जैसा की हमने पहले भी पढ़ा था। की तलपट (Trial Balance) अंतिम खाते का आधार होता है। यदि आप नहीं जानते की तलपट (Trial Balance) क्या होता है। तो आप जरूर पढ़ें :-

व्यापार खाता (Trading Account) और लाभ - हानि खाता (Profit and Loss Account) तलपट (Trial Balance) के आधार पर ही बनाया जाता है। अर्थात् सबसे पहले तलपट (Trial Balance) बनाया जाता है। फिर इस तलपट (Trial Balance) को देखकर सबसे पहले व्यापार खाता (Trading Account) बनाया जाता है। और फिर बाद में लाभ - हानि खाता (Profit and Loss Account) बनाया जाता है।

लाभ - हानि खाते का प्रारूप

लाभ हानि खाता (Profit and Loss Account) for the year ended दिनांक			
Dr.			Cr.
विवरण Particulars	राशि Amount	विवरण Particulars	राशि Amount
To Trading A/c (Gross Loss)	0.00	By Trading A/c (Gross Profit)	0.00
To Office Expenses	0.00	By Rent Received	0.00
To Salaries	0.00	By Interest Received	0.00
To Bank Charges	0.00	By Income for Investment	0.00
To Office Rent	0.00	By Discount Received	0.00
To Office Lighting Expenses	0.00	By Bad Debt Recovered	0.00
To Depreciation	0.00	By Commission	0.00
To Charity Expenses	0.00	By Apprentice Premium	0.00
To Postage Expenses	0.00	By Bank Interest Received	0.00
To Freight Out Ward Expenses	0.00	By P.P.F. A/c Interest Received	0.00
To Stationery Expenses	0.00	Total	0.00
To Travelling Expenses	0.00	By Net Loss	0.00
To Telephone Expenses	0.00	(Transfer to Capital Account)	
To Interest Paid On Loan	0.00		
To Discount	0.00		
To Carriage Out Ward Expenses	0.00		
To Advertising Expense	0.00		
To Packing Expenses	0.00		
To Commission Paid	0.00		
To Maintenance Expenses	0.00		
To Printing Expenses	0.00		
To Bad Debts	0.00		
To Audit Fees	0.00		
To Discount Allowed	0.00		
To Wages Expenses	0.00		
To Repair Expenses	0.00		
To Fire Insurance	0.00		
To Legal Expense	0.00		
To Interest On Bank Loan	0.00		
Total	0.00		
To Net Profit	0.00		
(Transfer to Capital Account)			
	0.00		0.00

लाभ - हानि खाते के डेबिट (Dr.) पक्ष में शामिल होने वाली मदे

लाभ - हानि खाते के डेबिट पक्ष में वे सभी खर्चों को लिखा जाता है। जो मॉल (Goods) के क्रय - विक्रय से सम्बंधित नहीं होते हैं। जैसे :-

- Gross Loss (शुद्ध हानि)
- Office Expenses (कार्यालय खर्च)
- Salaries (वेतन)
- Bank Charges (बैंक खर्च)
- Office Rent (कार्यालय का किराया)
- Office Lighting Expenses (कार्यालय का लाइट बिल)
- Depreciation (हास)
- Charity Expenses (दान का खर्च)
- Postage Expenses (डाक खर्च)
- Freight Out Ward Expenses (भाड़ा खर्च)
- Stationery Expenses (लेखन सामग्री खर्च)
- Travelling Expenses (यात्रा खर्च)
- Telephone Expenses (दूरभाष बिल)
- Interest Paid On Loan (ऋण पर ब्याज चुकाया)
- Discount (कटौती)
- Carriage Out Ward Expenses (बाहरी भाड़ा खर्च)
- Advertising Expense (विज्ञापन का खर्च)
- Packing Expenses (पैकिंग खर्च)
- Commission Paid (कमीशन)
- Maintenance Expenses (रखरखाव खर्च)
- Sales Tax (विक्रय कर)
- Printing Expenses (छपाई खर्च)
- Bad Debts (अप्राप्य ऋण)
- Audit Fees (अंकेक्षण शुल्क)
- Discount Allowed (छुट दिया गया)
- Wages Expenses (मजदूरी खर्च)
- Repair Expenses (मरम्मत खर्च)
- Fire Insurance (अग्नि बिमा)
- Legal Expense (कानूनी व्यय)
- Interest On Bank Loan (बैंक ऋण पर ब्याज)
- लाभ - हानि खाते के क्रेडिट (Cr.) पक्ष में शामिल होने वाली मदे
- लाभ - हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में वे सभी आय को लिखा जाता है। जो मॉल (Goods) के क्रय - विक्रय से सम्बंधित नहीं होती हैं।

जैसे :- Gross Profit (शुद्ध लाभ)

- Rent Received (प्राप्त किराया)
- Interest Received (प्राप्त ब्याज)
- Income for Invesment (निवेश पर आय)
- Discount Received (प्राप्त छुट)
- Bad Debt Recovered (खराब खर्च वसूली)
- Commission (प्राप्त कमीशन)
- Apprentice Premium (नवसिखिया प्रब्याज)

❖ आर्थिक चिद्दा (Balance Sheet)

Balance Sheet जिसे हिंदी में आर्थिक चिद्दा और स्थिति विवरण भी कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है - स्थिति विवरण अर्थात् एक ऐसा स्थिति विवरण पत्र जिससे व्यापार की आर्थिक स्थिति जैसे:- व्यापार की सम्पत्तियाँ, दायित्व, लेनदार व देनदार आदि का ज्ञान आसानी से हो जाता है। तो ऐसे विवरण पत्र को Balance Sheet कहते हैं।

इसे हम और सरल भाषा में समझते हैं। किसी व्यापार में व्यापारिक खाता और लाभ - हानि बनाने के बाद किसी व्यापारी को अपने व्यापार की वास्तविक आर्थिक स्थिति जानने की आवश्यकता होती है। सकल लाभ (Net Profit) ज्ञात करने के बाद व्यापारी यह भी जानना चाहता है। की व्यापार में कितनी पूँजी है, सम्पत्तियाँ कितनी हैं, किन व्यक्तियों से रुपया लेना है, किन व्यक्तियों को रुपया देना है, व्यापार में कितना लोन लिया है। बैंक बैलेंस क्या है। आदि जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यापारी एक निर्धारित तिथि को व्यापार की सम्पत्ति और दायित्वों का एक एक विवरण पत्र तैयार करता है। और इस विवरण पत्र को ही आर्थिक चिद्दा (Balance Sheet) कहते हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं। की आर्थिक चिद्दा (Balance Sheet) एक खाता नहीं है। अपितु व्यापार की सम्पत्तियों और दायित्वों का एक विवरण - पत्र है।

आर्थिक चिद्दा (Balance Sheet) बनाने के उद्देश्य या लाभ।

1. Balance Sheet से व्यापारी को व्यापार की सम्पूर्ण आर्थिक स्थिति का ज्ञान आसानी से हो जाता है।
2. Balance Sheet से व्यापारी यह आसानी से ज्ञात कर सकता है। की व्यापार पर अभी सुरक्षित और असुरक्षित ऋण (secured Loans and Unsecured Loans) कितना है।

समान आकार विवरण एवं प्रवृत्ति विश्लेषण

समान आकार विवरणों (स्थिति विवरण एवं आय विवरण) को विश्लेषणात्मक प्रतिशत में प्रस्तुत किया जाता है। इन विवरणों की राशियों को क्रमशः कुल सम्पत्तियों, कुल देयताओं एवं कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। आइए स्थिति विवरण का उदाहरण लें। कुल सम्पत्तियों को 100 मान लिया जाता है तथा विभिन्न सम्पत्तियों को कुल के प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। इसी प्रकार से विभिन्न देयताओं के कुल देयताओं के भाग के रूप में लिया जाता है।

समान आकार स्थिति विवरण

एक ऐसा विवरण जिसमें स्थिति विवरणों की मदों को इस प्रकार से अनुपात में प्रकट किया जाता है

कि प्रत्येक सम्पत्ति का कुल सम्पत्तियों का अनुपात, प्रत्येक देयता कुल देयताओं का अनुपात हो, तो इसे समान आकार स्थिति विवरण कहते हैं। इस प्रकार से समान आकार विवरणों को निम्न तरीके से तैयार किया जा सकता है:

- कुल सम्पत्तियों एवं देयताओं को 100 माना जाता है।
- अलग-अलग सम्पत्तियों की मदों को कुल सम्पत्ति अर्थात् 100 के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है तथा अलग-अलग देयताओं की गणना भी कुल देयताओं के सम्बन्ध में की जाती है।

समान आकार स्थिति विवरण का प्रारूप

समान आकार स्थिति विवरण -31 मार्च 2014 का

विवरण	नोट सं.	सम्पूर्ण राशि		स्थिति विवरण के आगे का प्रतिशत	
		31 मार्च, 2013 (₹)	31 मार्च, 2014 (₹)	31 मार्च, 2013 (%)	31 मार्च, 2014 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. समता एवं देयताएँ					
1. अंशधारक कोष					
(क) अंश पूँजी					
(i) समता अंश पूँजी	
(ii) पूर्वाधिकार अंश पूँजी	
(ख) संचय एवं आधिक्य	
2. गैर चालू देयताएँ					
(क) दीर्घकालिक ऋण	
(ख) दीर्घकालिक प्रावधान	
3. चालू देयताएँ					
(क) अल्पकालिक ऋण	
(ख) व्यापारिक देयताएँ	
(ग) अन्य चालू देयताएँ	
(घ) अल्पकालिक प्रावधान	
कुल योग		100	100

विभिन्न पक्षों पर पड़ने वाले प्रभावों की आलाचेनात्मक समीक्षा की जाती है। सामान्य रूप से नये कर लगाने एवं कर की दरें बढ़ाने तथा गरीब जनता पर बजट के पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों की आलोचना की जाती है।

मतदान -

- -बजट पर सामान्य बहस होने के बाद विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री अपने-अपने विभागों के लिए अनुदान की मांग करते हैं तथा इन मांगों पर बहस होती है। व्यय की कुछ मर्दे अनिवार्य रूप की होती हैं जिन्हें संचित कोष से मांगा जाता है। इन मांगों पर सदस्यों को मतदान करवाने का अधिकार नहीं होता है। विभाग के प्रत्येक मंत्री को अपनी अनुदान मार्गों के औचित्य को स्पष्ट करना होता है।
- विनियोग विधेयक: बजट की मांगों पर सामान्य बहस के बाद सदन में विनियोग विधेयक लाया जाता है। यह विनियोग विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। साधारण विधेयक की तर्ज पर विनियोग विधेयक सरकार द्वारा नये कर लगाने तथा पुराने करों की दरों में वृद्धि करने से सम्बन्धित होता है। इस विधेयक पर भी लोकसभा में सामान्य बहस होती है। इन कर संबंधी परिवर्तनों के औचित्य को स्पष्ट किया जाता है जो करारोपण के लिए आवश्यक होता है। सदन द्वारा अधिक आपति या विरोध करने पर विनियोग विधेयक में आवश्यक संशोधनों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। विनियोग विधेयक के अंतर्गत वित्त विधेयक तथा द्रायिक विधेयकों को शामिल किया जाता है। विनियोग विधेयक के पारित होने पर इसे राज्य सभा की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। विवादास्पद स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला ली जाती है।
- अनुपूरक मांगे : आपको यह भी स्पष्ट करना होगा कि कभी-कभी किसी वर्ष सरकार की व्यय राशि स्वीकृत तथा निर्धारित व्यय से अधिक हो जाती है तथा निर्धारित व्यय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही समाप्त हो जाता है। वर्ष की शेष अवधि के लिए और धनराशि की आवश्यकता होती है। इसके लिए सदन में अनुपूरक मांगे रखी जाती हैं। अनुपूरक मांगों पर सामान्य बहस के बाद पारित किया जाता है तथा बिल पारित होने पर उसे उच्च सदन की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है।

सांकेतिक मांगे : सामान्य बजट अनुमानों को अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थितियों के आधार पर लगाया जाता है। लेकिन कभी कभी अर्थव्यवस्था के सम्मुख ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं कि बजट से बाहर वाली मदों पर भी व्यय करना पड़ता है। जैसे युद्ध, अकाल, बाढ़ तथा कोई अन्य प्राकृतिक आपदा आदि के कारण सरकारी व्यय की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में सरकार एक रुपये का व्यय भी बिना सदन की स्वीकृति के नहीं कर सकती है। सांकेतिक मांगों को सामान्य बजट की तरह ही पारित किया जाता है।

भारत में सर्वप्रथम 1985-86 में शून्य आधार बजट की में अवधारणा को स्वीकार किया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा इस शून्य आधार बजट को अपनाने के लिए समस्त विभागों को निर्देश दिये गये थे वर्ष 1986-87 में केन्द्र सरकार के सभी विभागों ने शून्य आधार बजट को स्वीकार किया सामान्यतः भारत में शून्य आधार बजट में अनुत्पादक व्यय तथा अधिकारियों की लापरवाही ने अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ पैदा की लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत में शून्य आधार बजट की अत्यन्त आवश्यकता थी। भारत में शून्य आधार बजट के लिए इन तथ्यों पर विशेष जोर दिया गया।

1. बजट की मदों पर लागत-लाभ विश्लेषण करना।
2. निष्क्रियता के स्थान पर सक्रिय मदों को स्थान देना।
3. उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयासों की सही-सही जानकारी प्राप्त करना।
4. विकल्पों की खोज के साथ मितव्ययता को महत्त्व देना
5. निर्णय संबंधी पैकेज का डिजाइन तैयार करना तथा उसे क्रमबद्ध करना।

अभ्यास प्रश्न

• गत परीक्षा में आये हुए प्रश्न :-

1. भारत सरकार द्वारा शून्य आधार बजट क्यों अपनाया गया था ? [RAS - 2021]
2. बजट से आप क्या समझते हैं ? [RAS - 2018]
3. “निष्पादन बजटिंग सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए उपयोगी है” क्यों ? [RAS - 2021]
4. शून्य आधार बजट पर टिप्पणी लिखिए ? [RAS - 2021]
5. स्थिर व लोचशील बजट में कोई पांच अंतर बताइए ? [RAS - 2016]

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न :-

1. बजट को परिभाषित कीजिए ? एवं इसकी प्रक्रिया का वर्णन करें ?
2. बजटों के वर्गीकरण को समझाइये ?
3. लोचशील बजट क्या होता है ?
4. उत्पादन बजट को समझाइये ?
5. निष्पादन बजट को समझाइये ?
6. पारम्परिक बजट निर्माण एवं निष्पादन बजट निर्माण में अंतर लिखे ?
7. शून्य आधार बजटिंग क्या है ? इसकी सीमाओं का उल्लेख कीजिए ?
8. निष्पादन बजट की सीमाओं / लाभ का वर्णन करें ?

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से अन्य परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -

RAS PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=p3_i-3qfDy8&t=1253s

Rajasthan CET (Graduation)-2023 - <https://youtu.be/gPqDNlc6URO>

VDO PRE. - <https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856Wl8&t=202s>

Patwari - <https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s>

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - <https://youtu.be/2gzzfJyt6vl>

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्न
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	30 नवम्बर	66 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2 nd शिफ्ट)	103 (150 में से)

RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2 nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1 st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2 nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2 nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1 st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21 नवम्बर 2021 (1 st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Rajasthan CET Gradu. Level	07 Janu. 2023 (1 st shift)	96 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें



Whatsapp - <https://wa.link/uwc5lp>

Online order - <https://bit.ly/3X6MGue>

Call करें 9887809083